

**भारतीय रिज़र्व बैंक - वाणिज्यिक बैंकों के निवेश पोर्टफोलियो का वर्गीकरण, मूल्यांकन  
और परिचालन, निदेश, 2021**

बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (इसके बाद अधिनियम कहा जाएगा) की धारा 35क के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारतीय रिज़र्व बैंक (इसके बाद रिज़र्व बैंक कहा जाएगा), इस बात से संतुष्ट होकर कि ऐसा करना सार्वजनिक हित में आवश्यक और समीचीन है, एतद्वारा इसमें निर्दिष्ट निदेश जारी करता है।

**अध्याय 1**

**प्रारंभिक**

**1. संक्षिप्त शीर्षक और प्रारंभ**

(ए) इन निदेशों को भारतीय रिज़र्व बैंक (वाणिज्यिक बैंकों के निवेश पोर्टफोलियो का वर्गीकरण, मूल्यांकन और परिचालन) निदेश, 2021 कहा जाएगा।

(बी) ये निदेश 25 अगस्त 2021 से प्रभावी होंगे।

**2. प्रयोज्यता**

इन निदेशों के प्रावधान सभी वाणिज्यिक बैंकों (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर) पर लागू होंगे। ये निदेश इसके बाद अध्याय X में निर्दिष्ट लघु वित्त बैंकों और भुगतान बैंकों पर लागू होंगे।

**3. परिभाषाएं**

इन निदेशों में, जब तक कि संदर्भ में अन्यथा न कहा गया हो, शब्दों का अर्थ वही होगा, जो उन्हें नीचे प्रदान किया गया है:

- i. "स्वीकृत प्रतिभूतियों" का वही अर्थ होगा जो कि बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 5(क) में परिभाषित है।
- ii. "बिक्री के लिए उपलब्ध" (एएफ़एस) से तात्पर्य बैंकों के निवेश पोर्टफोलियो की उस श्रेणी से है, जो एचटीएम या एचएफ़टी श्रेणी में नहीं आते हैं।

- iii. इन निदेशों के प्रयोजन के लिए "कॉर्पोरेट बांड और डिबेंचर" से तात्पर्य ऐसे ऋण प्रतिभूतियों से है जो ऋणग्रस्तता का निर्माण या स्वीकार करते हैं जिसमें (i) डिबेंचर (ii) बांड (iii) वाणिज्यिक पत्र (iv) जमा प्रमाणपत्र और ऐसी अन्य प्रतिभूतियों सहित, किसी कंपनी, बहुपक्षीय वित्तीय संस्थान (एमएफआई) या एक केंद्रीय अधिनियम या एक राज्य अधिनियम के तहत गठित निकाय, चाहे कंपनी या कॉर्पोरेट निकाय की संपत्ति पर चार्ज हो या न हो, और इसमें एक सतत प्रकृति के परिवर्तनीय लिखत और बेमियादी लिखत शामिल हैं, लेकिन इसमें केंद्र सरकार या राज्य सरकार द्वारा जारी ऋण प्रतिभूतियां शामिल नहीं हैं या ऐसे अन्य व्यक्ति जो रिजर्व बैंक द्वारा निर्दिष्ट किए जा सकते हैं, प्रतिभूति रसीदें और प्रतिभूतिकृत ऋण लिखत।
- iv. इन निदेशों के प्रयोजन के लिए "वाणिज्यिक बैंकों" से तात्पर्य बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 5 की उप-धाराओं (सी), (डीए), और (एनसी) के तहत परिभाषित सभी बैंकिंग कंपनियों, संबंधित नए बैंक और भारतीय स्टेट बैंक से होगा।
- v. रेटेड प्रतिभूति का निर्धारण करने के उद्देश्य से "वर्तमान या वैध रेटिंग" का अर्थ भारत में एक क्रेडिट रेटिंग एजेंसी द्वारा दी गई क्रेडिट रेटिंग है, जो सेबी के तहत पंजीकृत है और निम्नलिखित शर्तों को पूरा करती है:
- (ए) क्रेडिट रेटिंग एजेंसी से क्रेडिट रेटिंग पत्र और रेटिंग का तर्क अधिमानतः प्रस्ताव से संबंधित दस्तावेज़ का हिस्सा होगा।
- (बी) क्रेडिट रेटिंग पत्र एक महीने से अधिक पुराना नहीं होना चाहिए और रेटिंग तर्क जारी करने की तारीख से एक वर्ष से अधिक पुराना नहीं होना चाहिए।
- (सी) द्वितीयक बाजार अधिग्रहण के मामले में, इश्यू की क्रेडिट रेटिंग लागू होगी और संबंधित क्रेडिट रेटिंग एजेंसी द्वारा प्रकाशित मासिक बुलेटिन से इसकी पुष्टि की जाएगी।
- vi. "डेरिवेटिव" का वही अर्थ होगा जो आरबीआई अधिनियम, 1934 की धारा 45यू(ए) में दिया गया है।
- vii. "एक्सचेंज" का अर्थ है "मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज" और इसका वही अर्थ होगा जो प्रतिभूति संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1956 की धारा 2 (एफ) में परिभाषित है।
- viii. "सरकारी प्रतिभूति" का वही अर्थ होगा जो सरकारी प्रतिभूति अधिनियम, 2006 की धारा 2(एफ) में निर्दिष्ट किया गया है।
- ix. "परिपक्वता तक धारित" (एचटीएम) से यह तात्पर्य है परिपक्वता तक प्रतिभूतियों को रखने के इरादे से बैंकों द्वारा बनाए गए निवेश पोर्टफोलियो की श्रेणी।

- x. "हेल्ड फॉर ट्रेडिंग" (एचएफटी) का अर्थ है अल्पकालिक मूल्य/ ब्याज दर उतार चढ़ाव का लाभ उठाकर प्रतिभूतियों में व्यापार करने के इरादे से बैंकों द्वारा बनाए गए निवेश पोर्टफोलियो की श्रेणी।
- xi. "सूचीबद्ध प्रतिभूति" एक प्रतिभूति है जो एक एक्सचेंज पर सूचीबद्ध है।
- xii. "उद्धृत प्रतिभूति" एक ऐसी प्रतिभूति है जिसके लिए बाजार मूल्य आरबीआई/ सेबी द्वारा अधिकृत स्टॉक एक्सचेंजों/ रिपोर्टिंग प्लेटफॉर्म/ ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध हैं।
- xiii. "रेटेड प्रतिभूति" से तात्पर्य एक ऐसी प्रतिभूति से है जो एक क्रेडिट रेटिंग एजेंसी द्वारा विस्तृत क्रेडिट रेटिंग अभ्यास के अधीन है, जो सेबी के साथ पंजीकृत है और वर्तमान या वैध क्रेडिट रेटिंग लेगी।
- xiv. "पुनर्गठन" का अर्थ है स्ट्रिपिंग की रिवर्स प्रक्रिया, जहां अलग-अलग स्ट्रिप्स यानी कूपन स्ट्रिप्स और प्रिंसिपल स्ट्रिप्स दोनों को मूल प्रतिभूति वापस पाने के लिए फिर से इकट्ठा किया जाता है, जैसा कि दिनांक 16 अक्टूबर 2009 को सरकारी प्रतिभूति- - पंजीकृत ब्याज और प्रतिभूतियों के मूलधन का अलग व्यापार (स्ट्रिप्स) विषय पर जारी तथा समय-समय पर यथासंशोधित परिपत्र आईडीएमडी. 1762/2009-10 में परिभाषित किया गया है।
- xv. "रेपो" और "रिवर्स रेपो" का वही अर्थ होगा जो आरबीआई अधिनियम, 1934 की धारा 45यू में परिभाषित है। इन निर्देशों के प्रयोजन के लिए, 'रेपो' शब्द का प्रयोग 'रेपो' और 'रिवर्स रेपो' दोनों के लिए किया जाता है। उपयुक्त अर्थ प्रासंगिक रूप से लागू होता है।
- xvi. "प्रतिभूतियों" का वही अर्थ होगा जो प्रतिभूति संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1956 की धारा 2(एच) में परिभाषित है।
- xvii. "सिक्क्योरिटी रिसीट्स" का वही अर्थ होगा जो वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम, 2002 की धारा 2(1)(जेडजी) में परिभाषित है।
- xviii. "शॉर्ट सेल" का वही अर्थ होगा जो 25 जुलाई, 2018 को शॉर्ट सेल (रिज़र्व बैंक) निदेश, 2018 पर जारी तथा समय-समय पर यथासंशोधित [परिपत्र सं. एफएमआरडी. डीआईआरडी.06/सीजीएम \(टीआरएस\)-2018](#) में परिभाषित है।
- xix. "प्रतिभूतिकृत ऋण लिखत" का अर्थ प्रतिभूति संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1956 की धारा 2(एच)(आईई) में निर्दिष्ट प्रकृति की प्रतिभूतियां हैं।
- xx. "सांविधिक चलनिधि अनुपात (एसएलआर) प्रतिभूतियां" का वही अर्थ होगा जो दिनांक 20 जुलाई 2021 को जारी तथा समय-समय पर यथासंशोधित भारतीय रिज़र्व बैंक [आरक्षित नकदी निधि अनुपात (सीआरआर) और सांविधिक चलनिधि अनुपात (एसएलआर)] निदेश – 2021 [सं. डीओआर.सं.आरईटी.आरईसी.32/12.01.001/2021-22](#) में परिभाषित है।

- xxi. "स्ट्रिप्स" का अर्थ है अलग, अलग प्रतिभूतियां जो सरकारी के नकदी प्रवाह से बनाई गई हैं और इसमें (i) कूपन स्ट्रिप्स शामिल होंगे, जहां स्ट्रिप के एकल नकदी प्रवाह मूल प्रतिभूति के एक कूपन प्रवाह का प्रतिनिधित्व करता है; और (ii) प्रिंसिपल स्ट्रिप, जहां स्ट्रिप का एकल नकदी प्रवाह मूल सिक्क्योरिटी के प्रिंसिपल नकदी प्रवाह का प्रतिनिधित्व करता है, जैसा कि दिनांक 16 अक्टूबर 2009 को सरकारी प्रतिभूति - पंजीकृत ब्याज और प्रतिभूतियों के मूलधन का अलग व्यापार (स्ट्रिप्स) विषय पर जारी तथा समय-समय पर यथासंशोधित परिपत्र आईडीएमडी.1762/2009-10 में परिभाषित किया गया है।
- xxii. "स्ट्रिपिंग" का अर्थ है एक नियमित सरकारी प्रतिभूति से जुड़े नकदी प्रवाह को अलग करने की प्रक्रिया अर्थात्, प्रत्येक बकाया अर्ध-वार्षिक कूपन भुगतान और अंतिम मूलधन का अलग-अलग प्रतिभूतियों में भुगतान, जैसा कि दिनांक 16 अक्टूबर 2009 को सरकारी प्रतिभूति - पंजीकृत ब्याज और प्रतिभूतियों के मूलधन का अलग व्यापार (स्ट्रिप्स) विषय पर जारी तथा समय-समय पर यथासंशोधित परिपत्र आईडीएमडी. 1762/2009-10 में परिभाषित किया गया है।
- xxiii. "अनरेटेड प्रतिभूति" ऐसी प्रतिभूतियां हैं जिनकी सेबी के साथ पंजीकृत क्रेडिट रेटिंग एजेंसी द्वारा वर्तमान या वैध रेटिंग नहीं है।
- xxiv. "जब, जैसा और अगर जारी किया गया" (आमतौर पर 'जब जारी' (डब्ल्यूआई) के रूप में जाना जाता है) प्रतिभूति का अर्थ एक प्रतिभूति है, जैसा कि 24 जुलाई 2018 को जारी तथा समय-समय पर यथासंशोधित जब जारी लेनदेन (रिज़र्व बैंक) निर्देश, 2018 [सं एफएमआरडी.डीआईआरडी.04/सीजीएम\(टीआरएस\)](#) के अनुसार होगी।
- (बी) यदि अन्यथा परिभाषित न किया गया हो, तो अन्य सभी अभिव्यक्तियों के अर्थ वही होंगे, जो बैंकारी विनियमन अधिनियम, 1949 या भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934, और इसके तहत बनाए गए नियम/ विनियम, अन्य किसी सांविधिक संशोधन या पुनःअधिनियमन, जो भी लागू हो, में दिए गए हों, अथवा जैसा वाणिज्यिक वार्तालाप में प्रयुक्त होता हो।

**अध्याय – II**  
**सामान्य दिशानिर्देश**

**4. निवेश नीति ढांचा**

- (ए) बैंक इन दिशाओं में निर्दिष्ट नियमों और शर्तों के अनुसार निवेश गतिविधियां शुरू करेंगे।
- (i) बैंक निदेशक मंडल द्वारा विधिवत अनुमोदित एक व्यापक निवेश नीति अपनाएंगे।
  - (ii) निवेश नीति में कम से कम अपने निवेश खाते पर और ग्राहकों की ओर से निवेश लेन-देन करते समय प्राप्त किए जाने वाले व्यापक निवेश उद्देश्यों, प्रतिभूति जिसमें बैंक द्वारा निवेश किया जा सकता है, डेरिवेटिव जिसमें बैंक सौदा करेगा, सौदों को पूरा करने का अधिकार, उचित प्राधिकारी से मंजूरी प्राप्त करने के लिए प्रक्रिया, सौदे को पूरा करने की प्रक्रिया, विभिन्न विवेकपूर्ण जोखिम सीमाओं का पालन, दलालों के माध्यम से सौदों के बारे में नीति, विभिन्न जोखिमों के प्रबंधन के लिए सिस्टम, और पोर्टफोलियो और रिपोर्टिंग सिस्टम के मूल्यांकन के लिए दिशानिर्देश होना आवश्यक है।
  - (iii) यह सुनिश्चित करने के लिए निवेश नीति बनाई जाएगी कि प्रतिभूतियों और डेरिवेटिव में लेनदेन दुरुस्त और स्वीकार्य व्यावसायिक प्रथाओं के अनुसार संचालित किया जाए।
  - (iv) निवेश नीति में प्रतिभूतियों में निवेश के लिए विवेकपूर्ण सीमा निर्धारित की जाएगी जिसमें निजी प्लेसमेंट आधार पर, पीएसयू बांड के लिए उप-सीमा, कॉर्पोरेट बांड, गारंटी बांड, जारीकर्ता सीमा आदि शामिल हैं। बैंक यह सुनिश्चित करेंगे कि निजी प्लेसमेंट के माध्यम के मुद्दों में उनके द्वारा किए गए निवेश से प्रणालीगत समस्याएं उत्पन्न होने न दें।
  - (v) कॉर्पोरेट बॉन्ड में निवेश करने के लिए उचित जोखिम प्रबंधन प्रणाली होनी चाहिए जिसमें प्रवेश स्तर की न्यूनतम रेटिंग / गुणवत्ता मानक और उद्योग-वार, परिपक्वता-वार, अवधि-वार, जारीकर्ता-वार आदि शामिल होंगे, संकेंद्रण और तरलता जोखिम के प्रतिकूल प्रभाव को कम करने के लिए सीमाएं होंगी।
  - (vi) निवेश नीति में इक्विटी में निवेश की प्रक्रिया और संबद्ध जोखिमों के प्रबंधन के लिए नीति को विस्तार से शामिल किया जाएगा। बैंक अपने परिचालन के पैमाने के अनुसार एक समर्पित इक्विटी अनुसंधान विभाग की स्थापना करके इक्विटी अनुसंधान में पर्याप्त विशेषज्ञता का निर्माण करेंगे।
  - (vii) प्रतिभूतियों<sup>1</sup> में निवेश करने का निर्णय बैंक के बोर्ड द्वारा गठित निवेश समिति द्वारा लिया जाएगा। बैंक द्वारा किए गए सभी निवेश के लिए निवेश समिति को जवाबदेह ठहराया जाएगा।
  - (viii) निवेश प्रस्ताव किसी भी ऋण प्रस्ताव के समान ही ऋण जोखिम विश्लेषण के अधीन होंगे।
  - (ix) निवेश संबंधी निर्णय लेते समय बैंकों को क्रेडिट सूचना कंपनियों और बड़े ऋणों से संबंधित सूचना का केंद्रीय निधान (सीआरआईएलसी) से प्राप्त चूककर्ताओं की सूची देखना चाहिए।

<sup>1</sup> इस उप-खंड के सीमित उद्देश्य के लिए प्रतिभूतियों का अर्थ इक्विटी शेयरों, अधिमान शेयरों, संपरिवर्तनीय बांडों / डिबेंचर और इक्विटी जैसे उत्पादों में प्रत्यक्ष निवेश होगा।

- (x) रेटेड मुद्दों के संबंध में भी बैंक अपना आंतरिक क्रेडिट विश्लेषण और रेटिंग करेंगे और पूरी तरह से बाहरी क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों की रेटिंग पर निर्भर नहीं होंगे। गैर-उधारकर्ता ग्राहकों द्वारा जारी किए गए लिखतों में निवेश के संबंध में मूल्यांकन सख्त होगा।
  - (xi) बैंक मजबूत आंतरिक क्रेडिट रेटिंग प्रणाली सुनिश्चित करेंगे जिसमें जारीकर्ता की वित्तीय स्थिति की नियमित (तिमाही या अर्ध-वार्षिक) ट्रैकिंग प्रणाली का निर्माण भी शामिल होगा ताकि जारीकर्ता/निर्गमों के रेटिंग स्थानांतरण की निरंतर निगरानी सुनिश्चित की जा सके।
  - (xii) बैंक संबंधित विनियामक द्वारा जारी अधिसूचनाओं/ निदेशों/ दिशा-निर्देशों में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार प्रतिभूतियों और डेरिवेटिव में लेन-देन का निपटारा करेंगे।
  - (xiii) बैंक निजी तौर पर रखी गई या अन्यथा प्रतिभूतियों में अपना निवेश केवल अभौतिकीकृत रूप में रखेंगे।
- (बी) भारतीय बैंकों की अपतटीय शाखाओं द्वारा निवेश उनके बोर्ड द्वारा निवेश पर अनुमोदित नीति के अनुसार होगा। इस तरह की नीति में निवेश से जुड़ी जोखिम धारणा, न्यूनतम रेटिंग की आवश्यकता, सीमा, अनुमोदन प्रक्रिया, मेजबान देश विनियम आदि शामिल होंगे।
- (सी) प्राथमिक डीलर (पीडी) गतिविधियों को भी शामिल करने के लिए निवेश नीति उपयुक्त रूप से बनाई जाएगी।

**बशर्ते कि बैंक द्वारा संचालित पीडी व्यवसाय के संबंध में भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा दिनांक 1 जुलाई, 2016 को आईडीएमडी.पीडीआरडी.01/03.64.00/2016-17 के माध्यम से जारी और समय-समय पर यथासंशोधित मास्टर निदेश - प्राथमिक डीलरों के लिए परिचालन दिशानिर्देश में उल्लिखित अनुदेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा।**

- (डी) उपर्युक्त अनुदेश बैंकों द्वारा स्थापित सहायक कंपनियों और म्यूचुअल फंडों पर इनके परिचालन को अभिशासित रिज़र्व बैंक, भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (सेबी), भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण (आईआरडीएआई) पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण (पीएफआरडीए) और अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण (आईएफएससीए) के विशिष्ट विनियमों के विपरीत या असंगत हो जाने की स्थिति के आलवे अन्य स्थितियों के लिए यथोचित संशोधनों के साथ लागू होंगे।
- (ई) इन निर्देशों को [26 मई 2016 को डीबीआर.एफएसडी.सं.101/24.01.041/2015-16](#) के माध्यम से जारी तथा समय-समय पर यथासंशोधित मास्टर निदेश – भारतीय रिज़र्व बैंक) बैंकों द्वारा दी जाने वाली वित्तीय सेवाएं(दिशानिर्देश, 2016 में उल्लिखित बैंकों के निवेश और पोर्टफोलियो प्रबंधन सेवाओं के लिए विवेकपूर्ण विनियमन पर दिए गए निर्देशों के साथ पढ़ा जाएगा।

**अध्याय – III**  
**बैंकों द्वारा निवेश का वर्गीकरण**

**5. निवेश का वर्गीकरण**

- (i) बैंक अपने सम्पूर्ण निवेश पोर्टफोलियो (एसएलआर प्रतिभूति और गैर-एसएलआर प्रतिभूति सहित) को तीन श्रेणियों के अंतर्गत वर्गीकृत करेंगे, यथा 'परिपक्वता तक धारित' (एचटीएम), 'बिक्री के लिए उपलब्ध' (एएफएस) और 'ट्रेडिंग के लिए धारित' (एचएफटी)।

**बशर्ते कि बैंक द्वारा निवेश की श्रेणी अधिग्रहण के समय तय की जाएगी और इसे संबंधित निवेश दस्तावेज/प्रस्ताव में रिकॉर्ड किया जाएगा।**

- (ii) बैंक, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (फॉर्म ए, अनुसूची 8 - निवेश) के तृतीय अनुसूची में निर्धारित तुलन पत्र में निवेश का प्रकटन निम्नानुसार करेंगे:

- (ए) सरकारी प्रतिभूतियां,  
(बी) अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियां,  
(सी) शेयर,  
(डी) डिबेंचर और बांड,  
(ई) सहायक कंपनियों और/या संयुक्त उद्यम, और  
(एफ) अन्य (विनिर्दिष्ट किए जाने वाले)

**6. परिपक्वता तक धारित (एचटीएम)**

- (i) एचटीएम श्रेणी के अंतर्गत निवेश, बैंक के कुल निवेश के 25 प्रतिशत से अधिक नहीं होगा।  
(ii) निम्नलिखित प्रतिभूतियों में निवेश एचटीएम श्रेणी के अंतर्गत शामिल किये जाने के लिए पात्र हैं:  
(ए) अनुमत सीमा तक एसएलआर प्रतिभूतियां।

(बी) 2 सितंबर, 2004 की स्थिति के अनुसार एचटीएम श्रेणी के अंतर्गत शामिल की गई गैर-एसएलआर प्रतिभूतियां।

**बशर्ते कि 2 सितंबर, 2004 से एचटीएम श्रेणी के अंतर्गत 6 (ii) (सी), 6 (ii) (डी), 6 (ii) (ई) और 6 (ii) (एफ) में निर्दिष्ट निवेश के अलावा अन्य कोई नई गैर-एसएलआर प्रतिभूतियां धारित नहीं की जाएंगी, जो अन्य हैं।**

(सी) पुनः पूंजीकरण आवश्यकता के अनुरूप भारत सरकार से प्राप्त और निवेश पोर्टफोलियो में धारित पुनः पूंजीकरण बांड।

**बशर्ते कि निवेश के उद्देश्य से अधिग्रहीत अन्य बैंकों के पुनर्पूंजीकरण बांड को एचटीएम श्रेणी के अंतर्गत शामिल नहीं किया जाएगा।**

(डी) सहायक कंपनियों और संयुक्त उद्यमों की इक्विटी (एक संयुक्त उद्यम वह होगा जिसमें अपनी सहायक कंपनियों सहित बैंक कुल इक्विटी का 25 प्रतिशत से अधिक हिस्सा धारित करता हो)।

(ई) संरचनागत ढांचे की गतिविधियों में लगी कंपनियों द्वारा जारी किए गए दीर्घकालिक बांड।

**बशर्ते कि** ऐसे बांड में निवेश के समय अवशिष्ट परिपक्वता कम से कम सात साल की हो।

**बशर्ते कि** यह भी प्रावधान किया गया है कि बैंक के पास इन निवेशों को एचटीएम श्रेणी के अंतर्गत वर्गीकृत करना जारी रखने का विकल्प होगा, भले ही बाद में अवशिष्ट परिपक्वता सात साल से कम हो।

**बशर्ते कि** यह भी प्रावधान किया गया है कि संरचनागत ढांचे और किफायती आवास ऋणों के वित्तपोषण के लिए अन्य बैंकों द्वारा जारी दीर्घकालिक बांडों में बैंक का निवेश एचटीएम श्रेणी के अंतर्गत धारित नहीं किया जाएगा।

(एफ़) तीन साल की आरंभिक अवधि के लिए श्रेणी I और II वैकल्पिक निवेश निधि (एआईएफ) के सूची से इतर के शेयर/बॉन्ड्स/यूनिट्स।

**बशर्ते कि** जब कभी भी प्रतिबद्ध पूंजी की मांग की जाती है, बैंक द्वारा श्रेणी I और II एआईएफ को किए गए प्रत्येक संवितरण के लिए तीन वर्ष की अवधि को अलग से गिना जाएगा।

(iii) उप-धारा 6 (ii) (सी), 6 (ii) (डी) और 6 (ii) (ई) में निर्दिष्ट निवेश, इन निर्देशों की उप-धारा 6 (i) के तहत निर्दिष्ट 25 प्रतिशत की अधिकतम सीमा के प्रयोजन के लिए गिना नहीं जाएगा।

(iv) बैंकों के पास एचटीएम श्रेणी के तहत कुल निवेश की 25 प्रतिशत की सीमा से अधिक करने का विकल्प होगा बशर्ते कि अतिरिक्त निवेश में निम्नलिखित शामिल हो:

(ए) एसएलआर प्रतिभूति

**बशर्ते कि** एचटीएम श्रेणी के अंतर्गत धारित कुल एसएलआर प्रतिभूतियां पूर्ववर्ती दूसरे पखवाड़े के अंतिम शुक्रवार की स्थिति के अनुसार निवल मांग और मीयादी देयताओं (एनडीटीएल) के रिज़र्व बैंक द्वारा समय-समय पर निर्दिष्ट किए गए एक निश्चित प्रतिशत से अधिक न हों। वर्तमान सीमा एनडीटीएल का 19.5 प्रतिशत है।

**बशर्ते कि** बैंक 31 मार्च, 2024 तक उक्त सीमा को एनडीटीएल (19.5 प्रतिशत के बजाय) की 23 प्रतिशत की समग्र सीमा तक बढ़ा सकते हैं, बशर्ते इस तरह की अधिकता 1 सितंबर, 2020 और 31 मार्च, 2024 के बीच प्राप्त एसएलआर प्रतिभूतियों के कारण हो।

**बशर्ते कि** 1 सितंबर, 2020 से 31 मार्च, 2024 की अवधि के दौरान बैंकों द्वारा अधिग्रहीत अतिरिक्त एसएलआर प्रतिभूतियों को उत्तरोत्तर कम किया जाएगा ताकि एनडीटीएल के प्रतिशत के रूप में एचटीएम श्रेणी में धारित कुल एसएलआर प्रतिभूतियां अधिक न हों:

(i) 22.00 प्रतिशत 30 जून 2024 की स्थिति के अनुसार

(ii) 21.00 प्रतिशत 30 सितंबर 2024 की स्थिति के अनुसार

(iii) 20.00 प्रतिशत 31 दिसंबर 2024 की स्थिति के अनुसार

(iv) 19.50 प्रतिशत 31 मार्च 2025 की स्थिति के अनुसार



(बी) भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा निर्दिष्ट लक्षित दीर्घकालिक रेपो परिचालन (टीएलटीओ) के अंतर्गत बैंकों द्वारा किए गए निवेश।

- (v) इस श्रेणी में निवेश की बिक्री पर अर्जित लाभ पहले लाभ और हानि खाते में लिया जाएगा, और उसके बाद 'आरक्षित पूंजी खाते' में विनियोजित किया जाएगा। इस प्रकार विनियोजित राशि करों और सांविधिक भंडारों को हस्तांतरित की जाने वाली राशि के समायोजन के पश्चात निर्धारित होगी। बिक्री पर होनेवाली हानि को लाभ और हानि खाते में दर्ज किया जाएगा।

#### 7. बिक्री के लिए उपलब्ध (एएफएस) और ट्रेडिंग के लिए धारित (एचएफटी)

- (i) अल्पकालिक मूल्य/ब्याज दर परिवर्तनों का लाभ उठाकर व्यापार करने के उद्देश्य से अधिग्रहीत प्रतिभूतियों को 'व्यापार के लिए धारित (एचएफटी)' के तहत वर्गीकृत किया जाएगा। एचएफटी के तहत वर्गीकृत निवेश 90 दिनों के भीतर बेचा जाएगा।
- (ii) जो प्रतिभूतियां एचटीएम या एचएफटी श्रेणियों के अंतर्गत नहीं आती हैं, उन्हें 'बिक्री के लिए उपलब्ध (एएफएस)' के तहत वर्गीकृत किया जाएगा। तथापि, श्रेणी I और II एआईएफ के क्वोटेड इक्विटी शेयर/बांड/इकाइयों और बकाया मूलधन और/या ब्याज राशि के रूपांतरण के माध्यम से अधिग्रहीत इक्विटी, डिबेंचर और अन्य वित्तीय लिखतों को हमेशा एएफएस श्रेणी में वर्गीकृत किया जाएगा।
- (iii) बैंकों को एएफएस और एचएफटी के तहत निवेश होल्टिंग्स की सीमा के बारे में निर्णय लेने की स्वतंत्रता होगी, जिसमें आशय, व्यापार रणनीतियों, जोखिम प्रबंधन क्षमताओं, कर नियोजन, जनशक्ति कौशल और पूंजीगत स्थिति के आधार को ध्यान में रखा जाएगा।
- (iv) दोनों श्रेणियों में निवेश की बिक्री पर होने वाले लाभ या हानि को लाभ और हानि खाते में दर्ज किया जाएगा।

## अध्याय – IV

### बैंकों के निवेश पोर्टफोलियो में विभिन्न श्रेणियों के बीच स्थानांतरण

#### 8. विभिन्न श्रेणियों के बीच स्थानांतरण

- (i) बैंकों को वर्ष में एक बार निदेशक मंडल के अनुमोदन से एचटीएम में/से निवेश को स्थानान्तरित करने की स्वतंत्रता होगी।

**बशर्ते कि** इस प्रकार का स्थानांतरण लेखांकन वर्ष के आरंभ में की जाएगी।

**बशर्ते यह भी कि** उस लेखांकन वर्ष के शेष भाग के दौरान एचटीएम में/से अतिरिक्त स्थानांतरण नहीं किया जाएगा, जब तक कि इस संबंध में भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा स्पष्ट रूप से अनुमति न दी जाए। नोट: बैंकों के पास उस तिमाही के दौरान एचटीएम श्रेणी से अतिरिक्त प्रतिभूतियों को बिक्री के लिए उपलब्ध (एएफएस) /व्यापार के लिए धारित (एचएफटी) में स्थानांतरित करने का विकल्प होगा, जिसमें एचटीएम सीलिंग उत्तरोत्तर रूप से इस निदेश के उप-खंड 6 (iv) (ए) में दर्शाई गई सीमा तक लाया गया हो।

- (ii) एचटीएम में रखी गई श्रेणी I और II एआईएफ की सूची से इतर की ऐसी इकाइयों/शेयरों/बांडों में निवेश जो एचटीएम श्रेणी के तहत तीन वर्ष पूरे कर लिए हैं, को अगले लेखांकन वर्ष की शुरुआत में एक ही साथ स्थानांतरित कर दिया जाएगा ताकि वे एचटीएम श्रेणी से निवेश के वार्षिक अंतरण के साथ मेल खा सकें।
- (iii) एएफएस/एचएफटी श्रेणी से एचटीएम श्रेणी में प्रतिभूतियों का हस्तांतरण पुस्तक मूल्य या बाजार मूल्य में से जो कम होगा उसमें किया जाएगा।

**बशर्ते कि** जहां स्थानांतरण के समय बाजार मूल्य, पुस्तक मूल्य से अधिक है, मूल्याधिक की अनदेखी की जाएगी, और प्रतिभूतियों को पुस्तक मूल्य पर स्थानांतरित कर दिया जाएगा।

**बशर्ते कि यह भी प्रावधान है कि** जिन मामलों में बाजार मूल्य, पुस्तक मूल्य से कम है, प्रतिभूति के बदले धारित मूल्यहास के प्रावधान (यदि कोई हो, हस्तांतरण की तारीख पर किए गए मूल्यांकन के आधार पर आवश्यक अतिरिक्त प्रावधान सहित) को पुस्तक मूल्य से कम करके इसे बाजार मूल्य के साथ समायोजित किया जाएगा और प्रतिभूति को बाजार मूल्य पर हस्तांतरित किया जाएगा।

- (iv) एचटीएम/एचएफटी श्रेणी में प्रतिभूतियों का हस्तांतरण निम्नलिखित शर्तों के अधीन होगा:

(ए) मूल रूप से छूट के साथ एचटीएम श्रेणी के तहत धारित प्रतिभूति को अधिग्रहण मूल्य/पुस्तक मूल्य पर एएफएस/एचएफटी श्रेणी में स्थानांतरित किया जाएगा।

(बी) मूल रूप से प्रीमियम पर एचटीएम श्रेणी के तहत धारित प्रतिभूति को परिशोधित लागत पर एएफएस/एचएफटी श्रेणी में स्थानांतरित किया जाएगा।

(सी) प्रतिभूतियों का तत्पश्चात पुनर्मूल्यनिर्धारण किया जाएगा, जिसके परिणामस्वरूप हस्तांतरण किया जाएगा और परिणामी मूल्यहास, यदि कोई हो, प्रदान किया जाएगा।

**नोट: उपर्युक्त (क) के संबंध में,** बैंक एचटीएम श्रेणी के अंतर्गत धारित प्रतिभूतियों पर छूट प्राप्त नहीं करेंगे और ऐसी प्रतिभूतियां परिपक्वता तक अधिग्रहण लागत पर धारित की जाएंगी।

- (v) बैंकों को अपने निदेशक मंडल/एएलसीओ (परिसंपत्ति देयता समिति)/निवेश समिति के अनुमोदन से एएफएस से एचएफटी में निवेश स्थानांतरित करने की स्वतंत्रता होगी।  
**बशर्ते कि** आकस्मिकताओं के मामले में, बैंक के मुख्य कार्यकारी/एएलसीओ के प्रमुख के अनुमोदन से स्थानांतरण किया जा सकता है लेकिन निदेशक मंडल/एएलसीओ द्वारा इसकी पुष्टि की जाएगी।
- (vi) एचएफटी से एएफएस में निवेश को स्थानांतरित करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।  
**बशर्ते कि** उपरोक्त निषेध असाधारण परिस्थितियों में लागू नहीं होगा जहां बैंक संकुचित चलनिधि की स्थिति, या अत्यधिक अस्थिरता, या बाजार के एकदिशात्मक होने के कारण 90 दिनों के भीतर प्रतिभूति बेचने की स्थिति में नहीं है। बशर्ते कि इस प्रकार का स्थानांतरण निदेशक मंडल/एएलसीओ/निवेश समिति के अनुमोदन से ही किया जाएगा।
- (vii) एएफएस से एचएफटी श्रेणी या इसके विपरीत प्रतिभूतियों के हस्तांतरण के मामले में, प्रतिभूतियों को हस्तांतरण की तिथि को पुनः मूल्य निर्धारण किए जाने की आवश्यकता नहीं है और संचित मूल्यहास के लिए धारित प्रावधानों, यदि कोई हो, को एचएफटी प्रतिभूतियों और इसके विपरीत अवमूल्यन के प्रावधानों को हस्तांतरित किया जाएगा।
- (viii) एचटीएम श्रेणी में/से बिक्री/स्थानांतरण के संबंध में, बैंक, ऐसे मामलों में, जहां एचटीएम श्रेणी में धारित निवेशों का बाजार मूल्य प्रतिभूतियों की बिक्री और एचटीएम श्रेणी में/से हस्तांतरण मूल्य वर्ष की शुरुआत में एचटीएम श्रेणी में आयोजित निवेशों के पुस्तक मूल्य के 5 प्रतिशत से अधिक है; तो इसे वित्तीय विवरणों के लिए लेखा टिप्पण में इन वित्तीय विवरणों का प्रकटन करेंगे। बैंक बाजार मूल्य से अधिक पुस्तक मूल्य की ऐसी अधिकता का प्रकटन भी करेंगे जिसके लिए प्रावधान नहीं किया गया है।
- (ix) उप-धारा 8 (viii) में निर्धारित 5 प्रतिशत की नियामक सीमा निम्नलिखित प्रतिभूतियों के स्थानांतरण/बिक्री पर लागू नहीं होगी:
- (ए) लेखा वर्ष की शुरुआत में बैंकों द्वारा किए गए निदेशक मंडल के अनुमोदन से एचटीएम श्रेणी में/से प्रतिभूतियों का एकमुश्त अंतरण।
- (बी) भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा एसएलआर अपेक्षाओं में कमी के परिणामस्वरूप एचटीएम श्रेणी में एसएलआर धारिता को नीचे लाने के लिए एचटीएम से सीधी बिक्री।
- (सी) भारतीय रिज़र्व बैंक को भारतीय रिज़र्व बैंक के खुले बाजार के परिचालन (ओएमओ) और सरकारी प्रतिभूति प्रापण कार्यक्रम (जीएसएपी) जैसे आरबीआई के चलनिधि प्रबंधन परिचालन के अंतर्गत बिक्री।
- (डी) पुनर्क्रय/परिचालन परिवर्तन के तहत बैंकों से भारत सरकार द्वारा सरकारी प्रतिभूतियों की पुनर्खरीद।
- (ई) पुनर्क्रय/परिचालन परिवर्तन के तहत संबंधित राज्य सरकारों द्वारा राज्य विकास ऋणों की पुनर्खरीद।
- (एफ) भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा स्पष्ट रूप से अनुमत प्रतिभूतियों का अतिरिक्त स्थानांतरण।

**अध्याय – V**  
**निवेश का मूल्यांकन**

**9. मूल्यांकन**

**(ए) परिपक्वता तक धारित (एचटीएम)**

- (i) एचटीएम के अंतर्गत वर्गीकृत निवेशों को मार्क टू मार्केट (एमटीएम) की आवश्यकता नहीं है।
- (ii) अधिग्रहण लागत पर निवेश किया जाएगा बशर्ते कि यह प्रतिभूति के अंकित मूल्य से कम हो।
- (iii) यदि अधिग्रहण लागत अंकित मूल्य से अधिक है, तो अंकित मूल्य और अधिग्रहण लागत के बीच अंतर से उत्पन्न होने वाले प्रीमियम को परिपक्वता तक शेष अवधि में परिशोधित किया जाएगा।
- (क) परिशोधन राशि 'अनुसूची 13 - अर्जित ब्याज: मद II - निवेश पर आय' में कटौती के रूप में दिखाई देगी और इसे अलग से प्रकट करने की आवश्यकता नहीं है।
- (ख) प्रतिभूति का बही मूल्य प्रासंगिक लेखा अवधि के दौरान परिशोधित राशि की सीमा तक घटाया जाना जारी रहेगा।
- (iv) सहायक कंपनियों/संयुक्त उद्यमों में निवेश के मूल्य में किसी भी कमी (अस्थायी के अलावा), जिसे एचटीएम के तहत शामिल किया गया है, को मान्यता दी जाएगी और प्रत्येक निवेश के लिए व्यक्तिगत रूप से प्रदान किया जाएगा।
- (v) यह निर्धारित करने की आवश्यकता है कि क्या हानि हुई है, एक सतत प्रक्रिया है और निम्नलिखित परिस्थितियों में उत्पन्न होगी:
- (क) कोई-ऐसी घटना जो यह दर्शाती हो कि हानि हुई है, उसमें न्यूनतम यह शामिल हो:
- (i) कंपनी ने अपने ऋण दायित्वों के पुनर्भुगतान में चूक की है।
- (ii) किसी भी बैंक के पास कंपनी की ऋण राशि का पुनर्गठन किया गया है।
- (iii) कंपनी की क्रेडिट रेटिंग को निवेश ग्रेड से नीचे कर दिया गया है।
- (ख) कंपनी ने लगातार तीन साल की अवधि के लिए घाटा उठाया है और इसके परिणामस्वरूप निवल मूल्य में 25 प्रतिशत या उससे अधिक की कमी आई है।
- (ग) एक नई कंपनी या एक नई परियोजना के मामले में जब मूल रूप से अनुमानित बिंदु प्राप्त करने की अनुमानित तिथि बढ़ा दी गई है, यानी कंपनी या परियोजना ने मूल रूप से परिकल्पित अवधि के भीतर ब्रेक-ईवन हासिल नहीं किया है।

(vi) बैंक किसी प्रतिष्ठित/ योग्य मूल्यांकनकर्ता से निवेश का मूल्यांकन प्राप्त करेंगे और यदि कोई सहायक, संयुक्त उद्यम या भौतिक निवेश के संबंध में हानि हुई है, तो यह निर्धारित करने की आवश्यकता के मामले में हानि के लिए प्रावधान करना होगा।

(vii) उप-धारा 9(ए)(ii) और 9(ए)(iii) में प्रावधानों के बावजूद, वित्त वर्ष 2021-22 से बैंक की पुनर्पूजीकरण आवश्यकता के लिए भारत सरकार से प्राप्त विशेष प्रतिभूतियों में निवेश को एचटीएम में प्रारंभिक मान्यता उचित मूल्य/बाजार मूल्य पर दी जाएगी। इन प्रतिभूतियों का उचित मूल्य/बाजार मूल्य फाइनेंशियल बेंचमार्क्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड (एफबीआईएल) द्वारा रखी गई समान अवधि की केंद्र सरकार की प्रतिभूतियों की कीमतों/वाईटीएम के आधार पर निकाला जाएगा। अधिग्रहण लागत और उक्त अनुसार प्राप्त किए गए उचित मूल्य के बीच किसी भी अंतर को तत्काल लाभ और हानि खाते में पहचाना जाएगा।

### **(बी) बिक्री के लिए उपलब्ध (एएफएस)**

(i) एएफएस श्रेणी में अलग-अलग प्रतिभूतियों को त्रैमासिक या अधिक लगातार अंतराल पर बाजार में चिह्नित किया जाएगा।

(ii) बाजार की मार्किंग के बाद व्यक्तिगत प्रतिभूतियों के बुक वैल्यू में कोई बदलाव नहीं होगा।

(iii) इस श्रेणी के अंतर्गत घरेलू प्रतिभूतियों और विदेशी निवेशों का मूल्यांकन प्रतिभूति-वार किया जाएगा और प्रत्येक वर्गीकरण (अर्थात् सरकारी प्रतिभूतियां, अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियां, शेयर, डिबेंचर और बांड, सबसिडियरी और/ या संयुक्त उद्यम और अन्य (निर्दिष्ट किया जाना है)<sup>2</sup> के लिए निवल मूल्यहास/निवेशों के मूल्यहास पर पहुंचने के उद्देश्य से मूल्यहास/वृद्धि को जोड़ा जाएगा। घरेलू और विदेशी दोनों प्रतिभूतियों में विशेष वर्गीकरण में निवेश को उस श्रेणी के तहत शुद्ध मूल्यहास/ मूल्यवृद्धि पर पहुंचने के उद्देश्य से जोड़ा जाएगा। शुद्ध मूल्यहास, यदि कोई हो, के लिए प्रावधान किया जाएगा। शुद्ध मूल्यवृद्धि, यदि कोई हो, पर ध्यान नहीं दिया जाएगा।

(iv) किसी एक वर्गीकरण में प्रदान किए जाने के लिए आवश्यक शुद्ध मूल्यहास किसी अन्य वर्गीकरण में निवल मूल्यवृद्धि के कारण कम नहीं किया जाएगा।

### **(सी) ट्रेडिंग के लिए धारित (एचएफटी)**

(i) एचएफटी श्रेणी में अलग-अलग प्रतिभूतियों को मासिक या अधिक लगातार अंतराल पर बाजार में चिह्नित किया जाएगा और एएफएस श्रेणी के मामले में प्रदान किया जाएगा।

(ii) अलग-अलग प्रतिभूतियों के बुक वैल्यू में मार्किंग टू मार्केट के बाद कोई बदलाव नहीं होगा।

---

<sup>2</sup> बैंक विदेशी निवेशों को पांच श्रेणियों (जैसे सरकारी प्रतिभूतियों), शेयरों, डिबेंचर और बांड, सहायक कंपनियों और/या संयुक्त उद्यमों विदेशों में और अन्य निवेश (निर्दिष्ट किया जाना) में वर्गीकृत करेंगे और प्रत्येक वर्गीकरण के लिए अलग से मूल्यहास/ मूल्यवृद्धि एकत्र की जाएगी। हालांकि, बैलेंस शीट में, बैंक तीन श्रेणियों (सरकारी प्रतिभूतियों (स्थानीय प्राधिकरणों सहित), विदेशों में सहायक कंपनियों और/या संयुक्त उद्यमों और अन्य निवेशों (निर्दिष्ट किए जाने वाले) के तहत विदेशी प्रतिभूतियों की रिपोर्ट करना जारी रखेंगे।

## 10. बाज़ार मूल्य

एएफएस और एचएफटी श्रेणियों में शामिल निवेशों के आवधिक मूल्यांकन के प्रयोजन के लिए बाजार मूल्य निम्नानुसार होगा:

### (क) उद्धृत प्रतिभूतियां

उद्धृत प्रतिभूतियों के लिए 'बाजार मूल्य' आरबीआई के [दिनांक 31 मार्च 2018 के एफएमआरडी.डीआईआरडी. 7/14.03.025/2017-18](#) के परिपत्र जो समय-समय पर संशोधित किया गया है, के समन्वयन में वित्तीय बेंचमार्क्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड (एफबीआईएल) द्वारा घोषित मूल्य होंगे। उन प्रतिभूतियों के लिए जिनकी कीमतें एफबीआईएल द्वारा प्रकाशित नहीं की जाती हैं, उद्धृत प्रतिभूति का बाजार मूल्य आरबीआई/सेबी द्वारा अधिकृत स्टॉक एक्सचेंजों/रिपोर्टिंग प्लेटफॉर्म/ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पर ट्रेडों/कोट्स पर उपलब्ध के अनुसार और निश्चित आय मुद्रा बाजार और डेरिवेटिव्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया (एफआईएमएमडीए) द्वारा घोषित मूल्य के अनुसार होंगे।

### (ख) गैर-उद्धृत एसएलआर प्रतिभूतियां

#### (i) केंद्र सरकार प्रतिभूतियां

क) गैर-उद्धृत केंद्र सरकार की प्रतिभूतियों का मूल्यांकन फाइनेंशियल बेंचमार्क इंडिया प्राइवेट लिमिटेड (एफबीआईएल) द्वारा रखी गई कीमतों/वाईटीएम दरों के आधार पर किया जाएगा।

ख) ट्रेजरी बिलों का मूल्यांकन वहन लागत पर किया जाएगा।

#### (ii) राज्य सरकार प्रतिभूतियां

राज्य सरकार की प्रतिभूतियों का मूल्यांकन फाइनेंशियल बेंचमार्क्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड (एफबीआईएल) द्वारा निर्धारित कीमतों/वाईटीएम दरों के आधार पर किया जाएगा।

#### (iii) 'अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियां'

अन्य स्वीकृत प्रतिभूतियों का मूल्यांकन वाईटीएम पद्धति को लागू करते हुए किया जाएगा, इसे एफबीआईएल द्वारा रखी गई समकक्ष परिपक्वता की केंद्र सरकार की प्रतिभूतियों के प्रतिफल से 25 आधार अंक ऊपर चिह्नित किया जाएगा।

### (ग) गैर-उद्धृत गैर एसएलआर प्रतिभूतियां

#### (i) डिबेंचर्स/बाँड

(क) सभी डिबेंचरों/बांडों का मूल्यांकन वाईटीएम आधार पर किया जाएगा।

(ख) डिबेंचर/बांड का मूल्यांकन एफबीआईएल/ एफआईएमएमडीए द्वारा निर्धारित केंद्र सरकार की प्रतिभूतियों के लिए वाईटीएम दरों पर उचित मार्क-अप लागू करके किया जाएगा।

(ग) लागू मार्क-अप क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों द्वारा डिबेंचर/बांड को सौंपी गई रेटिंग के आधार पर निर्धारित किया जाएगा और निम्नलिखित के अधीन होगा:

(i) मार्क अप रेटेड डिबेंचर/बांड के लिए समकक्ष परिपक्वता की भारत सरकार की प्रतिभूति पर लागू दर से कम से कम 50 आधार अंक अधिक होगा।

(ii) गैर-रेटेड डिबेंचरों/बांडों के लिए वाईटीएम के लिए उपयोग की जाने वाली दर रेटेड डिबेंचरों/समतुल्य परिपक्वता वाले बांडों पर लागू दर से कम नहीं होगी।

**बशर्ते कि** बिना रेटिंग वाले डिबेंचरों/बांडों के लिए मार्क-अप में बैंक द्वारा वहन किए गए क्रेडिट जोखिम को उचित रूप से दर्शाया जाना चाहिए।

(iii) जहां डिबेंचर/बांड उद्धृत किए गए हैं और मूल्यांकन तिथि से 15 दिनों के भीतर लेनदेन किया गया है, वहां अपनाया गया मूल्य सेबी/आरबीआई द्वारा अधिकृत उस दर से अधिक नहीं होगा जिसे लेनदेन एक्सचेंजों/ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म/रिपोर्टिंग प्लेटफॉर्म पर दर्ज किया गया है।

**(ii) वित्तीय पुनर्गठन योजना के तहत राज्य वितरण कंपनियों (डिस्कॉम) द्वारा जारी उदय बांड और बांड**

(ए) उदय बांड का मूल्यांकन फाइनेंशियल बेंचमार्क्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड (एफबीआईएल) द्वारा प्रकाशित कीमतों/ उपज के आधार पर किया जाएगा।

(बी) राज्य वितरण कंपनियों द्वारा जारी और सेवा प्रदान बांड (यानी, जब बांड की देनदारियां राज्य डिस्कॉम के पास हैं) और जो राज्य सरकारों द्वारा गारंटीकृत हैं, का मूल्यांकन केंद्र सरकार के लिए एफबीआईएल द्वारा प्रकाशित समकक्ष परिपक्वता की प्रतिभूतियां वाईटीएम दरों पर 75 आधार अंकों के मार्क-अप को लागू करके किया जाएगा।

(ग) राज्य वितरण कंपनियों द्वारा जारी और सेवा प्रदान बांड (यानी, जब बांड की देनदारियां राज्य डिस्कॉम के पास हैं) और जिनकी राज्य सरकारों द्वारा गारंटी नहीं है, का मूल्यांकन केंद्र के लिए एफबीआईएल द्वारा प्रकाशित समकक्ष परिपक्वता वाली सरकारी प्रतिभूतियां वाईटीएम दरों पर 100 आधार अंकों का मार्क-अप लागू करके किया जाएगा।

(घ) राज्य सरकार द्वारा जारी और सेवा प्रदान बांड (अर्थात, जब बांड की देनदारियां राज्य सरकार के पास हैं) का मूल्यांकन केंद्र सरकार की समकक्ष परिपक्वता वाली प्रतिभूतियों के लिए जैसा कि एफबीआईएल द्वारा प्रकाशित किया गया है वाईटीएम दरों पर 50 आधार अंकों का मार्क-अप लागू करके किया जाएगा।

**(iii) ज़ीरो कूपन बांड (ज़ेडसीबी)**

(क) ज़ेडसीबी का मूल्य बहियों में वहन लागत पर रखा जाएगा जिसकी गणना अधिग्रहण लागत और अधिग्रहण के समय प्रचलित दर पर अर्जित छूट को जोड़कर की जाएगी, जिसे बाजार मूल्य के संदर्भ में बाजार में चिह्नित किया जाएगा।

(बी) बाजार मूल्य की अनुपस्थिति में, जेडसीबी के वर्तमान मूल्य के संदर्भ में जेडसीबी को बाजार में चिह्नित किया जाएगा।

व्याख्या: ज़ेडसीबी के वर्तमान मूल्य की गणना एफआईएमडीए/एफबीआईएल द्वारा लगाए गए शून्य-कूपन स्प्रेड के अनुसार उचित मार्क अप के साथ 'ज़ीरो कूपन यील्ड कर्व' का उपयोग करके अंकित मूल्य को छूट देकर की जा सकती है। यदि बैंक अभी भी ज़ेडसीबी को अधिग्रहण लागत पर ले जा रहा है, तो लिखत पर अर्जित छूट को बाजार में चिह्नित करने से पहले, बांड के बुक वैल्यू में काल्पनिक रूप से जोड़ा जाना चाहिए।

#### (iv) वरीयता शेयर

(ए) वरीयता शेयरों का मूल्यांकन वाईटीएम आधार पर किया जाएगा।

(बी) एफबीआईएल द्वारा रखी गई केंद्र सरकार की प्रतिभूतियों के लिए वाईटीएम दरों पर उचित मार्क-अप के साथ वरीयता शेयरों का मूल्यांकन किया जाएगा।

(सी) रेटिंग एजेंसियों द्वारा वरीयता शेयरों को सौंपी गई रेटिंग के अनुसार मार्क-अप को वर्गीकृत किया जाएगा और निम्नलिखित के अधीन होगा:

(i) भारत सरकार की समतुल्य परिपक्वता की प्रतिभूति के लिए वाईटीएम दर कूपन दर/वाईटीएम से कम नहीं होगी।

(ii) गैर-रेटेड वरीयता शेयरों के लिए वाईटीएम के लिए उपयोग की जाने वाली दर समकक्ष परिपक्वता के रेटेड वरीयता शेयरों पर लागू दर से कम नहीं होगी और बैंक द्वारा वहन किए गए क्रेडिट जोखिम को उचित रूप से दर्शाएगी।

(iii) जहां वरीयता शेयरों में निवेश पुनर्वास के हिस्से के रूप में है, वहां वाईटीएम दर भारत सरकार की समकक्ष परिपक्वता की प्रतिभूति के लिए कूपन दर/वाईटीएम से 1.5 प्रतिशत से कम नहीं होगी।

(iv) जहां वरीयता लाभांश/कूपन बकाया हैं, अर्जित लाभांश/कूपन के लिए कोई क्रेडिट नहीं लिया जाना चाहिए और यदि बकाया एक वर्ष के लिए है तो वाईटीएम से अधिक आधार पर निर्धारित मूल्य में कम से कम 15 प्रतिशत की छूट दी जानी चाहिए, अगर बकाया दो साल के लिए है यह 25 प्रतिशत होनी चाहिए, और इसी क्रम में अग्रसर (अर्थात्, 10 प्रतिशत की वृद्धि के साथ)। व्यापक सिद्धांत यह होना चाहिए कि मूल्यांकन नकदी प्रवाह के रूढ़िवादी मूल्यांकन और जोखिम को दर्शाने के लिए उचित छूट दरों पर आधारित होना चाहिए। सांविधिक लेखापरीक्षकों को विशेष रूप से इस बात की भी जांच करनी चाहिए कि क्या मूल्यांकन ऐसे लिखतों से जुड़े जोखिम को पर्याप्त रूप से दर्शाते हैं। जहां लाभांश बकाया हैं ऐसे गैर-निष्पादित शेयरों के संबंध में मूल्यहास/प्रावधान की आवश्यकता, को अन्य प्रदर्शन करने वाले वरीयता शेयरों पर मूल्यवृद्धि के खिलाफ सेट-ऑफ करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

(डी) वरीयता शेयर का मूल्यांकन उसके मोचन मूल्य से अधिक नहीं किया जाएगा।

(ई) जब मूल्यांकन तिथि से 15 दिनों के भीतर एक्सचेंज पर एक वरीयता शेयर का कारोबार किया गया है, तो मूल्य उस कीमत से अधिक नहीं होगा जिस पर शेयर का कारोबार किया गया था।



(एफ) परियोजना वित्त के हिस्से के रूप में वरीयता शेयरों में निवेश का मूल्यांकन उत्पादन शुरू होने के बाद दो साल की अवधि के लिए या सदस्यता के पांच साल बाद, जो भी पहले हो, के लिए किया जाएगा।

#### **(v) इक्विटी शेयर**

(ए) बैंक के पोर्टफोलियो में इक्विटी शेयरों को अधिमानतः दैनिक आधार पर, लेकिन कम से कम साप्ताहिक आधार पर बाजार में चिह्नित किया जाएगा।

(बी) इक्विटी शेयर जिनके लिए मौजूदा कोटेशन उपलब्ध नहीं हैं या जहां शेयर एक्सचेंजों पर उद्धृत नहीं हैं, उनका मूल्यांकन कंपनी के नवीनतम बैलेंस शीट से पता लगाकर ब्रेक-अप वैल्यू ('पुनर्मूल्यांकन रिजर्व', यदि कोई हो, पर विचार किए बिना) पर किया जाएगा। जिस तारीख को नवीनतम बैलेंस शीट तैयार की जाती है, वह मूल्यांकन की तारीख से पहले 18 महीने से अधिक नहीं होगी।

(सी) यदि नवीनतम बैलेंस शीट उपलब्ध नहीं है, तो शेयरों का मूल्य प्रति कंपनी 1 रुपये होगा।

#### **(vi) म्युचुअल फंड इकाइयाँ (एमएफ इकाइयाँ)**

(ए) गैर-उद्धृत एमएफ इकाइयों में निवेश का मूल्यांकन प्रत्येक योजना के संबंध में एमएफ द्वारा घोषित नवीनतम पुनर्खरीद मूल्य के आधार पर किया जाएगा।

(बी) लॉक-इन अवधि या किसी अन्य फंड के साथ फंड के मामले में, जहां पुनर्खरीद मूल्य/बाजार भाव उपलब्ध नहीं है, इकाइयों का मूल्यांकन योजना के शुद्ध संपत्ति मूल्य (एनएवी) पर किया जाएगा। यदि एनएवी उपलब्ध नहीं है, तो लॉक-इन अवधि के अंत तक इनका मूल्यांकन लागत पर किया जाएगा।

#### **(vii) वाणिज्यिक पत्र**

वाणिज्यिक पत्र का मूल्य वहन लागत पर किया जाएगा।

#### **(viii) क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (आरआरबी) में निवेश**

आरआरबी में निवेश का मूल्य वहन लागत (अर्थात बही मूल्य) के आधार पर निरंतर रूप से किया जाएगा।

#### **(ix) आस्ति पुनर्निर्माण कंपनी (एआरसी) द्वारा जारी प्रतिभूतियों में निवेश**

(ए) बैंकों द्वारा उन्हें बेची गई वित्तीय परिसंपत्तियों के संबंध में एआरसी द्वारा जारी प्रतिभूति रसीदों (एसआर)/ पास-श्रु प्रमाणपत्रों (पीटीसी) में निवेश को निम्न में से मान्यता दी जाएगी:

(i) एआरसी का मोचन मूल्य, और

(ii) वित्तीय परिसंपत्ति का शुद्ध बही मूल्य (एनबीवी) (अर्थात बही मूल्य घट धारित प्रावधान)।

(बी) उपरोक्त निवेश बैंक की बहीखातों में ऊपर निर्धारित मूल्य पर उसकी बिक्री या वसूली तक किया जाएगा, और इस तरह की बिक्री या वसूली पर, हानि या लाभ को निम्नानुसार निपटाया जाएगा:

(i) शुद्ध बुक वैल्यू (एनबीवी) से कम कीमत पर एआरसी को बिक्री के कारण उत्पन्न होने वाली कमी (यानी, बुक वैल्यू घट धारित प्रावधान) उस वर्ष के लाभ और हानि खाते में डेबिट की जाएगी। बैंकों के पास ऐसी बिक्री में किसी भी कमी को पूरा करने के लिए प्रतिचक्रीय/अस्थायी प्रावधानों का उपयोग करने का विकल्प होगा।

(ii) यदि बिक्री मूल्य एनबीवी से अधिक मूल्य के लिए है, तो वर्ष में राशि प्राप्त होने पर उसके लाभ और हानि खाते में बैंकों के पास एनपीए की बिक्री पर अतिरिक्त प्रावधान को वापस लेने का विकल्प होगा।

**बशर्ते कि** एनपीए की बिक्री से उत्पन्न होने वाले अतिरिक्त प्रावधान को केवल वहीं वापस किया जा सकता है जहां प्राप्त नकद (शुरुआती प्रतिफल और/या एसआर / पीटीसी के मोचन के माध्यम से) संपत्ति के शुद्ध बुक वैल्यू (एनबीवी) से अधिक है। इसके अलावा, अतिरिक्त प्रावधान का प्रत्यावर्तन उस सीमा तक सीमित होगा जिस तक प्राप्त नकद परिसंपत्ति के एनबीवी से अधिक है।

(iii) रिज़र्व बैंक द्वारा समय-समय पर निर्धारित गैर-एसएलआर लिखतों में निवेश के लिए लागू मूल्यांकन, वर्गीकरण और अन्य मानदंड में यथावश्यक परिवर्तन होंगे जो बैंक के डिबेंचरों/ बांडों/ प्रतिभूति रसीदों/ एआरसी द्वारा जारी पीटीसी में निवेश पर लागू होते हैं।

**बशर्ते कि** बैंक एआरसी द्वारा जारी किए गए लिखतों के मूल्यांकन के लिए समय-समय पर एआरसी से प्राप्त निवल परिसंपत्ति मूल्य (एनएवी) की गणना करेगा, जो संबंधित योजना में लिखतों को सौंपे गए वित्तीय परिसंपत्तियों की वास्तविक वसूली तक सीमित है।

#### **(x) श्रेणी I और II वैकल्पिक निवेश निधि (एआईएफ) में निवेश**

(ए) बैंक के पोर्टफोलियो में उद्धृत इक्विटी शेयरों/ बांडों/ श्रेणी I और II एआईएफ की इकाइयों को दैनिक आधार पर, लेकिन कम से कम साप्ताहिक आधार पर बाजार के लिए चिह्नित किया जाएगा।

(बी) तीन साल पूरे होने के बाद एचटीएम से एएफएस श्रेणी में स्थानांतरित श्रेणी I और II एआईएफ के गैर-उद्धृत शेयरों/ बांडों/ इकाइयों का मूल्य निम्नानुसार होगा:

(i) **यूनिट:** मूल्यांकन श्रेणी I और II एआईएफ द्वारा अपने वित्तीय विवरणों में दर्शाए गए एनएवी पर किया जाएगा। एनएवी के आधार पर इकाइयों पर मूल्यहास, यदि कोई हो, निवेश को एचटीएम श्रेणी से एएफएस श्रेणी में स्थानांतरित करने के समय और बाद के मूल्यांकन पर भी प्रदान किया जाएगा जो कि श्रेणी I और II एआईएफ से प्राप्त वित्तीय विवरणों के आधार पर त्रैमासिक या अधिक लगातार अंतराल पर किया जाएगा। वर्ष में कम से कम एक बार, लेखापरीक्षित परिणामों के आधार पर इकाइयों का मूल्यांकन किया जाएगा। हालांकि, अगर एनएवी के आंकड़े दिखाने वाली लेखापरीक्षित बैलेंस शीट/वित्तीय विवरण मूल्यांकन की तारीख को लगातार 18 महीने से अधिक समय तक उपलब्ध नहीं हैं, तो निवेश का मूल्य 1 रुपये प्रति श्रेणी I और II एआईएफ होगा।

(ii) **इक्विटी:** कंपनी (श्रेणी I और II एआईएफ) की नवीनतम बैलेंस शीट (जो मूल्यांकन के तारीख से 18 महीने पहले से अधिक नहीं होनी चाहिए) से निर्धारित ब्रेक-अप वैल्यू ('पुनर्मूल्यांकन रिजर्व' पर विचार किए बिना, यदि कोई हो) के आधार पर आवश्यक आवृत्ति पर मूल्यांकन किया जाएगा। शेयरों पर मूल्यहास, यदि कोई हो, निवेश को एचटीएम से एएफएस श्रेणी में स्थानांतरित करने के समय और बाद के मूल्यांकन पर भी प्रदान किया जाएगा जो तिमाही या अधिक लगातार अंतराल पर किया जाएगा। यदि उपलब्ध नवीनतम बैलेंस शीट 18 महीने से अधिक पुरानी है, तो शेयरों का मूल्य 1 रुपये प्रति कंपनी होना चाहिए।

(iii) **बॉन्ड:** श्रेणी I और II एआईएफ के बांडों में निवेश, यदि कोई हो, का मूल्यांकन समय-समय पर संशोधित इस मास्टर निदेश में उद्धृत/उद्धृत बांडों के लिए निर्धारित दिशानिर्देशों के अनुसार किया जाएगा।

(xi) **बकाया अग्रिमों के रूपांतरण के माध्यम से अर्जित इक्विटी/ऋण/अन्य वित्तीय साधनों में निवेश**

(ए) बकाया मूलधन और/या ब्याज के रूपांतरण के माध्यम से अर्जित इक्विटी, डिबेंचर और अन्य वित्तीय साधनों का मूल्यांकन बैंकों के निवेश पोर्टफोलियो के मूल्यांकन पर मौजूदा निर्देशों के अनुसार किया जाएगा।

(बी) मानक परिसंपत्ति के रूप में वर्गीकृत इक्विटी का मूल्यांकन या तो बाजार मूल्य पर किया जाएगा, यदि उद्धृत किया गया है, या ब्रेक-अप मूल्य पर, यदि उद्धृत नहीं किया गया है (पुनर्मूल्यांकन रिजर्व पर विचार किए बिना, यदि कोई हो) जिसे कंपनी की नवीनतम बैलेंस शीट से पता लगाया जाएगा। जिस तारीख को नवीनतम बैलेंस शीट तैयार की गई है, वह मूल्यांकन की तारीख से पहले 18 महीने से अधिक नहीं होनी चाहिए। यदि नवीनतम बैलेंस शीट उपलब्ध नहीं है, तो बैंक द्वारा रखे गए कंपनी के इक्विटी शेयरों का मूल्य 1 रुपये होगा।

(सी) एनपीए के रूप में वर्गीकृत इक्विटी का मूल्यांकन बाजार मूल्य पर किया जाएगा यदि उद्धृत किया गया है और यदि इसे उद्धृत नहीं किया गया है तो इसका मूल्य 1 रुपये होगा।

(डी) रूपांतरण के माध्यम से हासिल किए गए उपकरणों पर मूल्यहास, चाहे वह मानक या एनपीए के रूप में वर्गीकृत हो, एएफएस श्रेणी के तहत आयोजित किसी भी अन्य प्रतिभूतियों में मूल्यवृद्धि के खिलाफ ऑफसेट नहीं किया जाएगा।

(xii) **भारत सरकार द्वारा जारी विशेष प्रतिभूतियां<sup>3</sup>**

विशेष प्रतिभूतियां, जो सीधे भारत सरकार द्वारा जारी की जाती हैं और जिनका एसएलआर दर्जा नहीं है, का मूल्यांकन भारत सरकार की प्रतिभूतियों पर संबंधित प्रतिफल से 25 आधार अंकों के अंतर पर किया जाएगा।

---

<sup>3</sup> वर्तमान में विशेष प्रतिभूतियों में तेल बांड उर्वरक बांड; भारतीय स्टेट बैंक (2008 के दौरान जारी राइट्स), भारतीय औद्योगिक वित्त निगम लिमिटेड और भारतीय खाद्य निगम को जारी बांड शामिल हैं;

**अध्याय – VI**  
**सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश**

11. इन निदेशों के अध्याय II, III और IV में निर्धारित शर्तों के अलावा, बैंक सरकारी प्रतिभूतियों में लेनदेन करते समय निम्नलिखित अनुदेशों का पालन करेंगे:

(i) *एसजीएल खाते के माध्यम से लेनदेन*

समय-समय पर आरबीआई द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार, डिलीवरी बनाम भुगतान प्रणाली के तहत, सरकारी प्रतिभूतियों में लेनदेन एसजीएल/सीएसजीएल खाते के माध्यम से किया जाएगा।

(ii) *केंद्र सरकार की दिनांकित प्रतिभूतियों में लघु बिक्री*

बैंक सरकारी प्रतिभूतियों में लघु बिक्री लेनदेन करेंगे, बशर्ते कि यह 25 जुलाई 2018 को एफएमआरडी.डीआईआरडी.05/14.03.007/2018-19 के तहत जारी शॉर्ट सेल (रिज़र्व बैंक) निदेश, 2018 में उल्लिखित आवश्यकताओं के अनुसार हो, जैसा कि समय-समय पर संशोधित।

(iii) *सरकारी प्रतिभूतियां कब जारी किए गए आधार पर*

सरकारी प्रतिभूतियों में 'जब जारी' के आधार पर किया गया लेनदेन, 24 जुलाई 2018 को एफएमआरडी.डीआईआरडी.03/14.03.007/2018-19 के तहत जारी लेनदेन (रिज़र्व बैंक) निदेश, 2018 में विनिर्दिष्ट दिशानिर्देशों, जैसा कि समय-समय पर संशोधित, के अधीन होगा।

(iv) *सरकारी प्रतिभूतियों का मूल्य मुक्त अंतरण (वीएफटी)*

सरकारी प्रतिभूतियों में मूल्य मुक्त अंतरण, समय-समय पर संशोधित 16 नवंबर 2018 के आईडीएमडी.सीडीडी.सं.1241/11.02.001/2018-19 में विनिर्दिष्ट दिशानिर्देशों के अधीन होगा।

(v) *पंजीकृत ब्याज और मूलधन की अलग-अलग ट्रेडिंग (स्ट्रिप्स)*

सरकारी प्रतिभूतियों का स्ट्रिपिंग/पुनर्गठन समय-समय पर यथा संशोधित दिनांक 25 मार्च 2010 के दिशा-निर्देशों आईडीएमडी.डीओडी.07/11.01.09/2009-10 में निर्धारित शर्तों के अधीन होगा बशर्ते कि ऐसे लेनदेनों का लेखांकन और मूल्यांकन अनुबंध III में निहित निर्देशों के अनुसार किया जाना चाहिए।

(vi) *सरकारी प्रतिभूतियों में रेपो*

बैंकों द्वारा दर्ज किए गए रेपो लेनदेन (रिवर्स रेपो लेनदेन सहित) समय-समय पर संशोधित दिशा-निर्देशों दिनांक 24 जुलाई 2018 के एफएमआरडी.डीआईआरडी.01/14.03.038/2018-19 में विनिर्दिष्ट दिशानिर्देशों के अधीन होंगे।

(viii) *सरकारी प्रतिभूतियों का रिटेलिंग*

बैंक, अपने विकल्प पर, सरकारी प्रतिभूतियों की खुदरा बिक्री करेंगे बशर्ते कि:

(ए) इस तरह की खुदरा बिक्री एकमुश्त आधार पर होगी और बिक्री और खरीद के बीच की अवधि पर कोई प्रतिबंध नहीं होगा।

(बी) सरकारी प्रतिभूतियों की खुदरा बिक्री द्वितीयक बाजार लेनदेन से निकलने वाली चालू बाजार दरों/प्रतिफल वक्र के आधार पर होगी।

(सी) बैंक समय-समय पर सरकारी प्रतिभूतियों की खुदरा बिक्री पर आरबीआई द्वारा जारी दिशानिर्देशों का पालन करेंगे।

*(viii) सरकारी प्रतिभूतियों में लेनदेन का निपटान*

(ए) सरकारी प्रतिभूतियों में लेनदेन का निपटान 1 जुलाई 2016 के मास्टर निदेश आईडीएमडी.पीडीआरडी.01/03.64.00/2016-17, समय-समय पर संशोधित के अनुसार जारी अनुदेशों द्वारा नियंत्रित होगा।

(बी) बैंक द्वारा किए गए सभी लेनदेन, या तो रेपो लेनदेन या एकमुश्त आधार पर उसी दिन उसके निवेश खाते में और तदनुसार, एसएलआर उद्देश्य के लिए, जहां भी लागू हो, परिलक्षित होंगे।

(सी) सरकारी प्रतिभूतियों में लेनदेन की खरीद और बिक्री को रिकॉर्ड करने के लिए बैंक 'निपटान तिथि' लेखांकन का पालन करेंगे।

**अध्याय – VII**  
**गैर-एसएलआर प्रतिभूतियों में निवेश**

12. इन निदेशों के अध्याय II, III और IV में निर्धारित शर्तों के अलावा, बैंक प्राथमिक और द्वितीयक बाजार में गैर-एसएलआर प्रतिभूतियों<sup>4</sup> में निवेश करते समय निम्नलिखित अनुदेशों का पालन करेंगे:

(i) बैंक केवल उन कंपनियों की सूचीबद्ध गैर-एसएलआर ऋण प्रतिभूतियों में निवेश करेंगे जो सेबी की आवश्यकताओं का अनुपालन करती हैं, सिवाय उप-धारा 12 (ii) में दी गई अनुमत सीमा को छोड़कर।

(ii) असूचीबद्ध गैर-एसएलआर प्रतिभूतियों में निवेश

ए) असूचीबद्ध गैर-एसएलआर प्रतिभूतियों में बैंक का निवेश पिछले वर्ष के 31 मार्च को गैर-एसएलआर प्रतिभूतियों में उसके कुल निवेश के 10 प्रतिशत से अधिक नहीं होगा।

**बशर्ते कि** ऐसे निवेश सूचीबद्ध कंपनियों के लिए सेबी द्वारा निर्धारित प्रकटीकरण आवश्यकताओं का अनुपालन करेंगे।

**बशर्ते यह भी कि** गैर-एसएलआर प्रतिभूतियों (प्राथमिक और द्वितीयक बाजार दोनों) में निवेश, जहां प्रतिभूति को एक्सचेंज में सूचीबद्ध किए जाने का प्रस्ताव है, निवेश करते समय सूचीबद्ध प्रतिभूति में निवेश के रूप में माना जाएगा।

**बशर्ते कि यदि** ऐसी प्रतिभूति जारी करने और सूचीबद्ध करने के बीच विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर सूचीबद्ध नहीं है, तो उसे असूचीबद्ध गैर-एसएलआर प्रतिभूतियों के लिए विनिर्दिष्ट 10 प्रतिशत की सीमा के लिए गिना जाएगा।

**बशर्ते यह भी कि** यदि असूचीबद्ध गैर-एसएलआर प्रतिभूतियों में शामिल ऐसे निवेशों से 10 प्रतिशत की सीमा का उल्लंघन होता है, तो बैंक को गैर-एसएलआर प्रतिभूतियों (प्राथमिक और द्वितीयक बाजार दोनों) में और साथ ही गैर-मूल्यांकन में निवेश करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। अवसंरचना गतिविधियों में लगी कंपनियों द्वारा जारी बांड जब तक असूचीबद्ध गैर-एसएलआर प्रतिभूतियों में बैंक का निवेश 10 प्रतिशत की सीमा के भीतर आता है।

(बी) बैंकों को असूचीबद्ध गैर-एसएलआर प्रतिभूतियों में अतिरिक्त 10 प्रतिशत निवेश करने की अनुमति है जो उपरोक्त (ए) में विनिर्दिष्ट 10 प्रतिशत की सीमा से अधिक है।

**बशर्ते कि** ऐसा निवेश बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के लिए जारी किए गए प्रतिभूतिकरण पत्रों और भारतीय रिजर्व बैंक के साथ पंजीकृत आस्ति पुनर्निर्माण कंपनियों (एआरसी) द्वारा जारी बांड/डिबेंचर में हो।

---

<sup>4</sup> इस अध्याय के लिए गैर-एसएलआर प्रतिभूतियों का अर्थ है कॉर्पोरेट्स, बैंकों, वित्तीय संस्थानों और राज्य और केंद्र सरकार द्वारा प्रायोजित संस्थानों, विशेष प्रयोजन वाहनों (एसपीवी) आदि द्वारा जारी प्रतिभूतियां, और इसमें पूंजीगत लाभ बांड और प्राथमिकता क्षेत्र की स्थिति के लिए पात्र बांड भी शामिल होंगे।

(सी) म्यूचुअल फंड योजनाओं की इकाइयों में निवेश, जिनका निवेश कोष के कोष के 10 प्रतिशत से कम की गैर-सूचीबद्ध प्रतिभूतियों में है, को केवल सूचीबद्ध प्रतिभूतियों के समान माना जाएगा, जो कि ऊपर निर्धारित विवेकपूर्ण सीमाओं के अनुपालन के उद्देश्य से है।

**व्याख्या:** म्यूचुअल फंड स्कीम के कॉर्पस के 10 प्रतिशत से कम के मानदंड के अनुपालन के लिए असूचीबद्ध प्रतिभूतियों के एक्सपोजर में ट्रेजरी बिल, ट्राई-पार्टी रेपो, रेपो / रिवर्स रेपो और बैंक फिक्स्ड डिपॉजिट को अंश में शामिल नहीं किया जाएगा।

(डी) इन निदेशों में निर्धारित विवेकपूर्ण सीमाओं के अनुपालन की गणना के लिए निम्नलिखित प्रतिभूतियों में निवेश को 'असूचीबद्ध गैर-एसएलआर प्रतिभूतियों' के रूप में नहीं माना जाएगा:

- (i) केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा सीधे जारी की गई प्रतिभूतियां, जिन्हें एसएलआर उद्देश्यों के लिए नहीं गिना जाता है और जिन्हें सीधे विदेशी संप्रभु द्वारा जारी किया जाता है।
- (ii) इक्विटी शेयर
- (iii) इक्विटी उन्मुख म्यूचुअल फंड योजनाओं की इकाइयाँ, अर्थात् वे योजनाएँ जहाँ कोष के किसी भी भाग को इक्विटी में निवेश किया जा सकता है
- (iv) श्रेणी I और II बैकल्पिक निवेश निधि (एआईएफ) द्वारा जारी इक्विटी/ऋण लिखत/इकाइयां
- (v) वाणिज्यिक पत्र
- (vi) जमा प्रमाणपत्र
- (vii) गैर-परिवर्तनीय डिबेंचर (एनसीडी) मूल या प्रारंभिक परिपक्वता के साथ कॉर्पोरेट्स द्वारा जारी एक वर्ष तक (एनबीएफसी सहित)
- (viii) परिसंपत्ति गुणवत्ता पर डीएसबी रिटर्न में रिजर्व बैंक को आवधिक रिपोर्टिंग के अधीन ऋण के रूपांतरण के माध्यम से अर्जित प्रतिभूतियां।
- (ix) रिजर्व बैंक में पंजीकृत एआरसी द्वारा जारी सुरक्षा रसीदें।
- (x) परिसंपत्ति समर्थित प्रतिभूतियां (एबीएस) और बंधक समर्थित प्रतिभूतियां (एमबीएस), न्यूनतम निवेश ग्रेड पर या उससे ऊपर की रेटिंग।  
**बशर्ते कि पर्यवेक्षी रिपोर्टिंग प्रणाली के तहत पर्यवेक्षण विभाग, भारतीय रिजर्व बैंक को प्रस्तुत मासिक रिपोर्ट के आधार पर बैंक विशिष्ट आधार पर एबीएस के एक्सपोजर की बारीकी से निगरानी की जाएगी।**

(xi) असूचीबद्ध परिवर्तनीय डिबेंचर<sup>5</sup>

(ई) बैंक बैलेंस शीट, अर्थात् 'शेयर', 'बॉन्ड और डिबेंचर' की अनुसूची 8 में निम्नलिखित चार श्रेणियों के तहत वर्गीकृत कुल निवेशों के द्वारा, ऊपर बताया गए विवेकपूर्ण कैप में हर यानी 'कुल गैर-एसएलआर निवेश', 'सहायक/संयुक्त उद्यम' और 'अन्य' की गणना करेंगे।

<sup>5</sup> इन लिखतों में निवेश को "पूंजीगत बाजार एक्सपोजर" के रूप में माना जाएगा।

(iii) बैंक एक वर्ष से कम की मूल परिपक्वता वाली गैर-एसएलआर प्रतिभूतियों में निवेश नहीं करेंगे।

**बशर्ते कि** उपरोक्त प्रतिबंध कॉरपोरेट्स (एनबीएफसी सहित) द्वारा जारी एक वर्ष तक मूल या प्रारंभिक परिपक्वता वाले वाणिज्यिक पत्र और जमा प्रमाणपत्र और एनसीडी में निवेश पर लागू नहीं होंगे, जो आरबीआई के दिशानिर्देशों के तहत आते हैं।

(iv) बैंक कॉरपोरेट्स (एनबीएफसी द्वारा जारी किए गए सहित) द्वारा जारी दीर्घकालिक शून्य कूपन बांड (जेडसीबी) में निवेश नहीं करेंगे।

**बशर्ते कि** उपरोक्त निषेध उन मामलों में लागू नहीं होगा जहां जारीकर्ता सभी अर्जित ब्याज के लिए एक डूबती हुई निधि बनाता है और इसे सरकारी बांड जैसे तरल निवेश/प्रतिभूतियों में निवेशित रखता है।

(v) बैंक कम कूपन बांडों में निवेश नहीं करेंगे जिनमें बहुत कम कूपन होते हैं जो बाजार से संबंधित नहीं होते हैं और परिपक्वता पर पर्याप्त प्रीमियम के साथ भुनाए जाते हैं।

**बशर्ते कि** उपरोक्त निषेध उन मामलों में लागू नहीं होगा जहां जारीकर्ता बांड पर लागू वाईटीएम और बांड पर देय वास्तविक कूपन के आधार पर गणना किए गए अर्जित ब्याज में अंतर की सीमा तक एक डूबती हुई निधि बनाता है और इसे सरकारी बांड जैसे तरल निवेश/प्रतिभूतियों में निवेशित रखता है।

(vi) बैंक गैर-रेटेड गैर-एसएलआर प्रतिभूतियों में निवेश नहीं करेंगे।

बशर्ते कि बैंकों के पास इन निदेशों की धारा 12(ii)(ए) में उल्लिखित असूचीबद्ध गैर-एसएलआर प्रतिभूतियों के लिए 10 प्रतिशत की सीमा के भीतर अवसंरचना गतिविधियों में लगी कंपनियों के गैर-रेटेड बांडों में निवेश करने का विकल्प होगा।

नोट: यह प्रावधान इन निदेशों की धारा 12(ii)(डी) में उल्लिखित प्रतिभूतियों में निवेश पर लागू नहीं है।

(vii) 1 वर्ष से अधिक के पोर्टफोलियो की भारित औसत परिपक्वता<sup>6</sup> वाली म्यूचुअल फंड की तरल/अल्पावधि ऋण योजनाओं (चाहे किसी भी नाम से पुकारा जाए) में बैंकों द्वारा कुल निवेश, उनके पिछले वर्ष के 31 मार्च को निवल मूल्य के 10 प्रतिशत की विवेकपूर्ण सीमा के अधीन होगा।

(viii) **कॉर्पोरेट बॉन्ड में रेपो:**

बैंक समय-समय पर संशोधित [24 जुलाई 2018 के परिपत्र एफएमआरडी.डीआईआरडी.01/14.03.038/2018-19](#) में दिए गए दिशानिर्देशों के अनुसार कॉर्पोरेट बॉन्ड में रेपो शुरू करेंगे।

(ix) **जमा प्रमाणपत्र (सीडी) और वाणिज्यिक पत्र (सीपी) और गैर-परिवर्तनीय डिबेंचर (एक वर्ष तक की मूल परिपक्वता) में ओटीसी लेनदेन:**

(ए) सीपी और एनसीडी में निवेश (एक वर्ष तक की मूल परिपक्वता) एफएमआरडी के खंड II और IV में दिए गए दिशानिर्देशों के अनुसार होगा। समय-समय पर संशोधित [दिनांक 7 जुलाई 2016 का मास्टर निदेश संख्या 2/2016-17](#)।

(बी) सीडी में निवेश समय-समय पर संशोधित [दिनांक 4 जून 2021 के एफएमआरडी.डीआईआरडी.03/14.01.003/2021-22](#) में दिए गए दिशानिर्देशों के अनुसार होगा।

<sup>6</sup> भारित औसत परिपक्वता की गणना निवेश की गई राशि से भारित प्रतिभूतियों की परिपक्वता की शेष अवधि के औसत के रूप में की जाएगी।



(x) बुनियादी ढांचे और किफायती आवास के वित्तपोषण के लिए बैंकों द्वारा जारी दीर्घकालिक बांडों में निवेश

बुनियादी ढांचे और किफायती आवास के वित्तपोषण के लिए अन्य बैंकों द्वारा जारी दीर्घकालिक बांडों में बैंकों द्वारा निवेश निम्नलिखित शर्तों के अधीन होगा:

(ए) ऐसे बांडों के विशिष्ट निर्गम में निवेश की सीमा निवेश बैंक की टियर 1 पूंजी के 2 प्रतिशत या निर्गम आकार के 5 प्रतिशत से कम होगी।

(बी) ऐसे बांडों में कुल होलिंग बैंक के कुल गैर-एसएलआर निवेश में निवेश करने वाले बैंक के 10 प्रतिशत पर सीमित होगी।

(सी) ऐसे बांड जारी करने के प्राथमिक निर्गम आकार का 20 प्रतिशत से अधिक बैंकों को आवंटित नहीं किया जाएगा।

(डी) बैंक अपने स्वयं के बांड नहीं रखेंगे।

(xi) कार्पोरेट बॉन्ड और प्रतिभूतिकृत ऋण संबंधी लिखतों में विक्रय और निपटान

(ए) सूचीबद्ध कार्पोरेट बॉन्ड में विक्रयों को सेबी द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार निष्पादित किया जाएगा।

(बी) द्वितीयक बाजार में कार्पोरेट बॉन्ड और प्रतिभूतिकृत ऋण लिखतों में हो रहे सभी विक्रयों को उसके पंद्रह दिनों के भीतर सेबी द्वारा विनियमित किसी भी स्टॉक एक्सचेंज (एनएसई, बीएसई और एमसीएक्स-एसएक्स) में सूचित किया जाएगा।

(सी) कार्पोरेट बॉन्ड और प्रतिभूतिकृत ऋण लिखतों में हो रहे सभी ओटीसी विक्रयों को नेशनल सिक्योरिटीज क्लियरिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड (एनएससीसीएल) या इंडियन क्लियरिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड (आईसीसीएल) या एमसीएक्स-एसएक्स क्लियरिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड (एमसीएक्स-एसएक्स सीसीएल) के माध्यम से एनएससीसीएल, आईसीसीएल और एमसीएक्स-एसएक्स सीसीएल द्वारा समय-समय पर निर्दिष्ट मानदंडों के अनुसार क्लियर और निपटान किया जाएगा।

### 13. अन्य अपेक्षाएँ

(i) बैंक गैर-एसएलआर प्रतिभूतियों में निवेश के संबंध में उचित सावधानी बरतेंगे

(ii) बैंक यह सुनिश्चित करेंगे कि जिन गतिविधियों/उद्देश्यों के लिए ऋण सुविधाओं को भारतीय रिजर्व बैंक के विनियमों द्वारा वर्जित किया गया है, उनके लिए गैर-एसएलआर प्रतिभूतियों के माध्यम से जुटाए गए धन के जरिए वित्तपोषित नहीं किया जाता है।

(iii) इस निदेश में रेटिंग नहीं की गई अनुमतित प्रतिभूतियों को छोड़कर, बैंक उन ऋण प्रतिभूतियों में निवेश करेंगे जिन्हें सेबी के साथ पंजीकृत क्रेडिट रेटिंग एजेंसी से कम से कम निवेश ग्रेड की क्रेडिट रेटिंग प्राप्त हुआ है।

(iv) ऑफ़र दस्तावेज़ों में प्रकटीकरण संबंधी अपेक्षाएँ

(ए) ऋण की निजी प्लेसमेंट के मामले में निवेश कर रहे बैंकों द्वारा सभी प्रस्ताव दस्तावेज़ों की एक प्रति क्रेडिट सूचना कंपनियों में से एक के पास दाखिल की जाएगी, जिसने रिजर्व बैंक से पंजीकरण का प्रमाण पत्र प्राप्त है। बैंक यह सुनिश्चित करेंगे कि किसी भी निजी तौर पर रखे गए ऋण के संबंध में ब्याज/किस्त

से संबंधित किसी भी चूक की सूचना सभी चार क्रेडिट सूचना कंपनियों को, निवेश करने वाले बैंकों द्वारा ऑफ़र दस्तावेज़ की एक प्रति के साथ दी जाए।

(बी) बैंक गैर-एसएलआर निवेशों के जारीकर्ता संघटन और गैर-निष्पादित गैर-एसएलआर निवेश संबंधी ब्यौरे 30 अगस्त 2021 के वित्तीय विवरणों पर मास्टर निदेश- प्रस्तुतीकरण और प्रकटीकरण के अनुसार III-सी.3 (डी) के अनुसार में प्रकट करेंगे।

**(v) बोर्ड की भूमिका**

(ए) गैर-एसएलआर निवेश के संबंध में जोखिमों को पकड़ने और उनका विश्लेषण करने के लिए उचित जोखिम प्रबंधन प्रणाली सुनिश्चित करना बोर्ड की जिम्मेदारी होगी।

(बी) बोर्ड कम से कम त्रैमासिक अंतराल पर गैर-एसएलआर निवेश के निम्नलिखित पहलुओं की समीक्षा करेगा:

(i) रिपोर्टिंग अवधि के दौरान कुल कारोबार (निवेश और विनिवेश)।

(ii) गैर-एसएलआर निवेश के लिए बोर्ड द्वारा निर्धारित विवेकपूर्ण सीमाओं का अनुपालन।

(iii) गैर-एसएलआर प्रतिभूतियों पर रिज़र्व बैंक द्वारा जारी विवेकपूर्ण दिशानिर्देशों का अनुपालन।

(iv) जारीकर्ताओं की रेटिंग स्थानांतरण/ बैंक की बहियों में धारित निर्गमों और परिणामस्वरूप पोर्टफोलियो की गुणवत्ता में कमी।

(v) निजी तौर पर रखे गए लिखतों में निवेश के लिए बैंक की निवेश नीति के तहत निर्धारित प्रणालियों और प्रक्रियाओं की पर्याप्तता .

(vi) गैर-एसएलआर श्रेणी में गैर-निष्पादित निवेश की सीमा।

**अध्याय – VIII**  
**विवेकपूर्ण प्रणाली/ नियंत्रण**

**14. आंतरिक नियंत्रण प्रणाली**

बैंक निवेश संबंधी लेनदेन के संबंध में एक मजबूत आंतरिक नियंत्रण तंत्र स्थापित करेंगे और कम से कम निम्नलिखित बातों को सुनिश्चित करेंगे:

- (i) (i) व्यापार, (ii) निपटान, (iii) निगरानी और नियंत्रण, और (iii) लेखांकन का स्पष्ट कार्यात्मक पृथक्करण होगा।
- (ii) बैंकों के अपने निवेश खातों, पोर्टफोलियो प्रबंधन योजना (पीएमएस) ग्राहकों के खातों और अन्य घटक (दलालों सहित) खातों से संबंधित व्यापार और बैंक-ऑफिस कार्यों का कार्यात्मक पृथक्करण होगा। बैंक द्वारा प्रदान की जाने वाली पोर्टफोलियो प्रबंधन सेवा मास्टर निदेश- भारतीय रिजर्व बैंक (बैंकों द्वारा प्रदान की जाने वाली वित्तीय सेवाएं) निदेश, 2016, समय-समय पर संशोधित किए गए अनुसार, का अनुपालन करेगी।
- (iii) डील पर्चियों को क्रम से क्रमांकित किया जाएगा, ठीक से हिसाब किया जाएगा और इसमें सौदे से संबन्धित सभी विवरण शामिल होंगे जैसे कि प्रतिपक्षकार का नाम, सुरक्षा का विवरण, राशि, मूल्य, संविदा की तारीख और समय, प्रतिपक्षकार को की गई पुष्टि का प्रकार, चाहे वह प्रत्यक्ष सौदा हो या दलाल के माध्यम से, और यदि दलाल के माध्यम से है तो, दलाल का नाम, आदि। बैंक-ऑफिस प्रतिपक्षकार से पुष्टि की समय पर प्राप्ति की निगरानी करेगा।
- (iv) तिमाही में एक बार निवेश बुक का आवधिक मिलान, रिकार्डिंग, सत्यापन और वाउचर पारित करना, संविदा का सत्यापन, पोर्टफोलियो का मूल्यांकन, विवेकपूर्ण सीमाओं और जोखिम सीमाओं की निगरानी और रद्द किए गए सौदों की निगरानी के लिए प्रक्रिया जैसे चेक और बैलेंस रखी जाएगी। विभिन्न प्लेटफार्मों पर रिपोर्टिंग सौदों की कानूनी और नियामक आवश्यकताओं के अनुपालन के लिए प्रक्रियाएं और नियंत्रण स्थापित किए जाएंगे।
- (v) एनडीएस-ओएम पर और ओटीसी बाजार में सरकारी प्रतिभूतियों में व्यापार करते समय बैंक एफआईएमएमडीए आचार संहिता का पालन करेंगे।
- (vi) सरकारी प्रतिभूतियों, मुद्रा बाजार लिखतों (कॉल/नोटिस/टर्म मनी, सीपी, सीडी, कॉर्पोरेट बॉन्ड में रेपो और सरकारी प्रतिभूतियों, एक वर्ष से कम की मूल परिपक्वता के गैर-परिवर्तनीय डिबेंचर आदि), डेरिवेटिव और अन्य उपकरणों में लेनदेन भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशों के अनुसार किया जाएगा।

- (vii) बैंक की बहियों के अनुसार सरकारी प्रतिभूतियों की शेष राशि का तिमाही अंतराल पर पीडीओ की बहियों में शेष राशि के साथ मिलान किया जा जाएगा। यदि लेन-देन की संख्या अधिक करनी है, तो मिलान अधिक बार की जानी चाहिए, जैसे मासिक। इस मिलान की आंतरिक लेखापरीक्षा विभाग द्वारा समय-समय पर जाँच की जाएगी।
- (viii) बैंक स्पष्ट रूप से प्रकट करेगा कि पीएमएस ग्राहकों के खातों (दलालों सहित) की ओर से उनके द्वारा दर्ज किया गया लेनदेन उनके अपने निवेश खाते से संबंधित नहीं है और बैंक केवल अपनी प्रत्ययी/एजेंसी क्षमता में कार्य कर रहा है।
- (ix) यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि स्टॉक ब्रोकर, बैंकों के बोर्ड के निदेशक के रूप में या किसी अन्य क्षमता में, निवेश समिति के साथ या शेयरों आदि में निवेश करने के निर्णय में या शेयरों के प्रति अग्रिम में किसी भी तरह से खुद को शामिल नहीं करते हैं।
- (x) साप्ताहिक आधार पर शीर्ष प्रबंधन को लेनदेन की रिपोर्ट करने के लिए एक प्रणाली होगी जिसमें प्रतिभूतियों में लेनदेन का विवरण, एसजीएल बाउंसिंग का विवरण और अवधि के दौरान किए गए निवेश लेनदेन की समीक्षा शामिल होगी।
- (xi) बैंकों के प्रबंधन को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि निवेश पोर्टफोलियो के संबंध में निर्देशों का उचित अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त आंतरिक नियंत्रण और लेखा परीक्षा प्रक्रियाएं हैं। बैंक रिजर्व बैंक द्वारा जारी विवेकपूर्ण और अन्य दिशानिर्देशों के अनुपालन की निगरानी की नियमित प्रणाली स्थापित करेंगे। बैंकों को प्रमुख क्षेत्रों में अनुपालन संबंधी प्रमाणपत्र अपने सांविधिक लेखा परीक्षकों से प्राप्त करना होगा और ऐसे लेखा परीक्षा प्रमाणपत्र को पर्यवेक्षण विभाग, भारतीय रिजर्व बैंक के क्षेत्रीय कार्यालय को प्रस्तुत करना होगा जिसके अधिकार क्षेत्र में बैंक का प्रधान कार्यालय आता है।

## 15. दलालों की तैनाती

इन निर्देशों की धारा 14 में निर्धारित शर्तों के अलावा, दलालों की सेवाएं आगामी पैराग्राफों में निर्दिष्ट नियमों और शर्तों पर होंगी:

(i) दलालों की सेवाएं लेने वाले बैंक यह सुनिश्चित करेंगे कि दलाल की भूमिका दोनों पक्षों को एक साथ लाने तक सीमित होगी।

*नोट: सौदा के समापन से पहले ब्रोकर प्रतिपक्षकार (काउंटर पार्टी) की पहचान का खुलासा करने के लिए बाध्य नहीं है।*

(ii) सौदे पर दलाल को देय दलाली, अगर कुछ है तो (यदि सौदा किसी दलाल की मदद से किया गया था), लेनदेन के माध्यम से अनुमोदन प्राप्त करने के लिए शीर्ष प्रबंधन को प्रस्तुत नोटों / ज्ञापन पर स्पष्ट रूप से इंगित किया जाएगा।

(iii) बैंक यह भी सुनिश्चित करेगा कि ब्रोकर नोट में सौदे का सही समय और प्रतिपक्ष का नाम शामिल है। उनका बैंक-ऑफिस यह सुनिश्चित करेगा कि ब्रोकर नोट और डील टिकट पर डील का समय एक है। बैंक यह भी सुनिश्चित करेगा कि उनके समवर्ती लेखा परीक्षक इस पहलू की लेखापरीक्षा करें।

(iv) सौदों के निपटान की प्रक्रिया में दलालों की कोई भूमिका नहीं होगी। सौदे का निपटारा सीधे प्रतिपक्षकारों के बीच होगा, अर्थात् निधि निपटान और प्रतिभूति की सुपुर्दगी दोनों।

(v) बैंक किसी भी दलाल के साथ सरकारी प्रतिभूतियों में भौतिक रूप में लेनदेन नहीं करेंगे।

(vi) बैंक अंतर-बैंक प्रतिभूतियों से जुड़े लेनदेन में किसी दलाल की सेवाएं नहीं लेंगे।

**बशर्ते कि** उपरोक्त प्रतिबंध नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (एनएसई), स्टॉक एक्सचेंज, मुंबई (बीएसई) और एमसीएक्स स्टॉक एक्सचेंज (एमसीएक्स-एसएक्स) के सदस्यों के माध्यम से आपस में या गैर-बैंक ग्राहकों<sup>7</sup> के साथ प्रतिभूति लेनदेन<sup>8</sup> करने वाले बैंकों पर लागू नहीं होंगे।

(vii) बैंक, अपने शीर्ष प्रबंधन के अनुमोदन के अधीन, अनुमोदित दलालों का एक पैनल तैयार करेंगे, जिसकी वार्षिक या अधिक बार समीक्षा की जाएगी, यदि ऐसा आवश्यक हो तो। दलालों के पैनल में शामिल होने के न्यूनतम मानदंड में, पूर्व अनुभव, साख, बाजार प्रतिष्ठा और नियामक कार्रवाई का विवरण, यदि कोई हो, शामिल होगा। किए गए सौदों और भुगतान किए गए ब्रोकरेज के ब्रोकर-वार विवरण का रिकॉर्ड रखा जाएगा।

(viii) विवेकपूर्ण सीमाएं<sup>9</sup>

समीक्षाधीन वित्तीय वर्ष के दौरान बैंक द्वारा दलालों (खरीद और बिक्री दोनों) के माध्यम से किए गए कुल लेनदेन की 5 प्रतिशत की सीमा को प्रत्येक अनुमोदित दलाल के लिए कुल ऊपरी अनुबंध सीमा के रूप में माना जाएगा।

**बशर्ते कि** सीमा का पालन समीक्षाधीन वर्ष के संदर्भ में किया जाएगा और बैंक पिछले वर्ष के कारोबार की मात्रा और वर्तमान साल में अनुमानित वृद्धि या गिरावट के आधार पर वर्तमान वर्ष की अपेक्षित मात्रा पर नज़र रखेगा।

**बशर्ते कि** दलालों के साथ खरीदार या विक्रेता के रूप में प्रत्यक्ष सौदे और ग्राहकों की ओर से दलालों के साथ किए गए लेनदेन को एक व्यक्तिगत दलाल के माध्यम से किए जाने वाले लेनदेन की सीमा तक पहुंचने के लिए वर्ष के कुल लेनदेन में शामिल किया जाएगा और और कुल लेनदेन पर पहुंचने के लिए प्रतिपक्षकारों के साथ सीधे किए गए लेनदेन, अर्थात् जहां दलाल शामिल नहीं हैं को शामिल नहीं किया जाएगा।

<sup>7</sup> प्रतिभूति अनुबंध (विनियमन) अधिनियम, 1956 कॉर्पोरेट शेयरों, डिबेंचर, सरकारी प्रतिभूतियों और अधिकारों या प्रतिभूतियों में हित के लिए 'प्रतिभूति' शब्द को परिभाषित करता है, हालांकि यहां 'प्रतिभूति' शब्द में कॉर्पोरेट शेयरों को शामिल नहीं किया गया है।

<sup>8</sup> भारतीय न्यास अधिनियम, 1882 के तहत पंजीकृत भविष्य/पेंशन फंड और ट्रस्ट ' गैर-बैंक ग्राहकों ' की अभिव्यक्ति के दायरे से बाहर होंगे।

<sup>9</sup> यह सीमा बैंक द्वारा शुरू किए गए व्यवसाय और ब्रोकर द्वारा बैंक में पेश किए गए/लाए गए व्यवसाय दोनों को कवर करेगी।

आगे बशर्ते कि यदि किसी कारण से किसी ब्रोकर के लिए कुल सीमा को पार करना आवश्यक हो जाता है, तो बैंक इस तरह के उल्लंघन के विशिष्ट कारणों को लिखित रूप में दर्ज करेंगे और कार्य के बाद बोर्ड को सूचित किया जाएगा।

इसके अलावा बशर्ते कि किसी व्यक्तिगत दलाल या दलालों के माध्यम से सीमा से अधिक किए गए कारोबार, उसके कारणों सहित, निदेशक मंडल/स्थानीय सलाहकार बोर्ड की छमाही समीक्षा में शामिल किए जाएंगे।

इसके अलावा बशर्ते कि 5 प्रतिशत की सीमा पीडी के माध्यम से बैंकों के लेन-देन पर लागू नहीं होगी।

(ix) ये निर्देश आवश्यक परिवर्तनों सहित बैंकों की अनुषंगियों और म्यूचुअल फंडों पर लागू होंगे।

## 16. लेखापरीक्षा, समीक्षा और रिपोर्टिंग

बैंक यह सुनिश्चित करेंगे कि निवेश पोर्टफोलियो के संचालन के संबंध में पर्याप्त आंतरिक नियंत्रण और लेखा परीक्षा प्रक्रियाएं की गई हैं। निवेश लेनदेन की लेखा परीक्षा, समीक्षा और रिपोर्टिंग के संबंध में बैंक निम्नलिखित निर्देशों का पालन करेंगे:

(i) बैंकों द्वारा निवेश पोर्टफोलियो की अर्ध-वार्षिक समीक्षा (31 मार्च और 30 सितंबर को) की जाएगी, जिसे दो महीने के भीतर, यानी मई के अंत और नवंबर के अंत तक उनके बोर्ड के समक्ष रखा जाएगा। समीक्षा में कम से कम निवेश पोर्टफोलियो के परिचालन पहलुओं, निवेश नीति में किए गए संशोधन, सभी ऑडिट रिपोर्टों में देखी गई प्रमुख अनियमितताएं, अनुपालन की स्थिति और निर्धारित आंतरिक निवेश नीति और प्रक्रियाओं और रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुपालन को प्रमाणित करना शामिल होगा।

(ii) बैंक के बोर्ड को प्रस्तुत समीक्षा रिपोर्ट की एक प्रति पर्यवेक्षण विभाग, आरबीआई को क्रमशः 15 जून और 15 दिसंबर तक भेजी जाएगी।

(iii) राजकोषीय लेनदेन आंतरिक लेखापरीक्षकों द्वारा अलग से समवर्ती लेखापरीक्षा के अधीन होंगे और उनकी लेखापरीक्षा के परिणाम को हर महीने बैंक के प्रबंध निदेशक & सीईओ/मुख्य कार्यपालक अधिकारी (सीईओ) के समक्ष रखे जाएंगे।

(iv) दलालों के माध्यम से किए गए व्यवसाय की लेखा परीक्षा उन्हीं समवर्ती लेखा परीक्षकों द्वारा की जाएगी जो बैंक के ट्रेजरी संचालन का लेखा-जोखा करते हैं और लेखा परीक्षा रिपोर्ट को बैंक के एमडी और सीईओ / सीईओ को उनकी मासिक रिपोर्ट में शामिल किया जाएगा।

(v) आंतरिक लेखा परीक्षा प्रतिभूतियों में लेनदेन को निरंतर आधार पर कवर करेगी, निर्धारित प्रबंधन नीतियों/निर्धारित प्रक्रियाओं के अनुपालन की निगरानी करेगी और कमियों की रिपोर्टिंग सीधे प्रबंधन को करेगी।

(vi) बोर्ड की लेखा परीक्षा समिति (एसीबी) प्रत्येक बैठक में बैंक के कुल निधि आधारित और गैर-निधि आधारित पूंजी बाजार एक्सपोजर की समीक्षा करेगी, यह सुनिश्चित करेगी कि रिजर्व बैंक द्वारा जारी दिशानिर्देशों का अनुपालन किया गया है और पर्याप्त जोखिम प्रबंधन और आंतरिक नियंत्रण प्रणाली उपस्थित हैं। शेयरों में निवेश के संबंध में, एसीबी द्वारा निरीक्षण और निगरानी की जाएगी।

(vii) एसीबी बोर्ड को पूंजी बाजार में समग्र एक्सपोजर, रिजर्व बैंक और बोर्ड के दिशानिर्देशों के अनुपालन, जोखिम प्रबंधन की पर्याप्तता और आंतरिक नियंत्रण प्रणाली के बारे में सूचित करता रहेगा।

(viii) बैंक रिजर्व बैंक द्वारा जारी विवेकपूर्ण और अन्य दिशानिर्देशों के अनुपालन की निगरानी के लिए एक नियमित प्रणाली स्थापित करेंगे। बैंकों को प्रमुख क्षेत्रों के संबंध में अपने सांविधिक लेखा परीक्षकों द्वारा प्रमाणित अनुपालन प्राप्त करना होगा और ऐसा लेखा परीक्षा प्रमाणपत्र पर्यवेक्षण विभाग, भारतीय रिजर्व बैंक के क्षेत्रीय कार्यालय को प्रस्तुत करना होगा जिसके अधिकार क्षेत्र में बैंक का प्रधान कार्यालय आता है।

(ix) सरकारी प्रतिभूतियों के धारण का मिलान - लेखा परीक्षा प्रमाणपत्र

(ए) प्रत्येक लेखा वर्ष के अंत में बैंक के लेखा परीक्षकों द्वारा विधिवत प्रमाणित किया गया बैंक के निवेशों के मिलान संबंधी विवरण (स्वयं के निवेश खाते में, साथ ही पीएमएस के तहत भी) प्रस्तुत करेगा। यह विवरण वित्तीय वर्ष की समाप्ति से एक महीने के भीतर पर्यवेक्षण विभाग, आरबीआई के क्षेत्रीय कार्यालय, जिसके अधिकार क्षेत्र में बैंक का प्रधान कार्यालय स्थित है, को प्रस्तुत किया जाएगा।

(बी) बैंक अपने बाह्य लेखापरीक्षकों को जारी नियुक्ति पत्रों में मिलान संबंधी उपर्युक्त आवश्यकता को उपयुक्त रूप से शामिल करेंगे।

(सी) विवरण का प्रारूप और उसे संकलित करने के निर्देश अनुबंध I में दिए गए हैं।

## अध्याय – IX लेखांकन और प्रावधान

### 17. ए. आय की पहचान

(i) बैंक निम्नलिखित के लिए उपचय आधार पर आय की पहचान करेंगे:

(ए) कॉर्पोरेट निकायों/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की प्रतिभूतियां जिनके संबंध में केंद्र सरकार या राज्य सरकार द्वारा ब्याज के भुगतान और मूलधन के पुनर्भुगतान की गारंटी दी गई है, बशर्ते कि ब्याज नियमित रूप से दिया जाता है और बकाया नहीं है।

(बी) कॉर्पोरेट निकायों के लाभांश दिए गए शेयरों के बारे में कॉर्पोरेट निकाय द्वारा अपनी वार्षिक आम बैठक में घोषित किया गया है और भुगतान प्राप्त करने के मालिक का अधिकार स्थापित है।

(सी) सरकारी प्रतिभूतियां और कॉर्पोरेट निकायों के बांड और डिबेंचर, जहां इन उपकरणों पर ब्याज दरें पूर्व निर्धारित हैं और बशर्ते कि ब्याज नियमित रूप से किया गया हो और बकाया न हो।

(ii) म्युचुअल फंड की इकाइयों से आय को नकद आधार पर ली जाएगी।

### बी. खंडित अवधि के ब्याज का लेखांकन

बैंक सरकारी प्रतिभूतियों और अनुमोदित प्रतिभूतियों<sup>10</sup> में निवेश के संबंध में विक्रेता को भुगतान की गई खंडित अवधि के ब्याज को लागत के हिस्से के रूप में पूंजीकृत नहीं करेंगे और लाभ और हानि खाते के तहत व्यय की एक मद के रूप में मानेंगे।

### 18. निवेश उतार-चढ़ाव रिजर्व और निवेश रिजर्व खाता

(i) *निवेश उतार-चढ़ाव रिजर्व (आईएफआर)*

(ए) बैंक निम्न से कम न होने की एक राशि आईएफआर<sup>11</sup> में स्थानांतरित करते हुए, निरंतर आधार पर, एक आईएफआर बनाएंगे जब तक कि आईएफआर की राशि एचएफटी और एएफएस पोर्टफोलियो का कम से कम 2 प्रतिशत न हो:

(i) वर्ष के दौरान निवेश की बिक्री पर निवल लाभ

(ii) अनिवार्य विनियोग को कम करने के पश्चात वर्ष के लिए निवल लाभ

<sup>10</sup> यह लेखांकन उपचार कर प्रभावों को ध्यान में नहीं रखता है और बैंक निर्धारित आयकर प्राधिकरणों की आवश्यकताओं का अनुपालन करेंगे

<sup>11</sup> बैंकों को सूचित किया था कि वे वर्ष 2018-19 से निवेश उतार-चढ़ाव रिजर्व (आईएफआर) बनाएं, ताकि भविष्य में यील्ड में वृद्धि से बचाने के लिए पर्याप्त भंडार का निर्माण करने के लिए तीन साल की अवधि के भीतर अपने एएफएस और एचएफटी पोर्टफोलियो के 2 प्रतिशत के स्तर तक पहुंच सकें।



(बी) आईएफआर टियर-II पूंजी में शामिल करने के लिए पात्र होगा।

नोट: टियर II पूंजी के रूप में सामान्य प्रावधानों और हानि रिज़र्व की पहचान पर लागू उच्चतम सीमा आईएफआर पर लागू नहीं है।

(सी) बैंक को अपने एचएफटी और एएफएस पोर्टफोलियो के 2 प्रतिशत से अधिक आईएफआर में उपलब्ध शेष राशि ड्रा डाउन की अनुमति दी जाएगी, जिसका उपयोग किसी भी लेखा वर्ष के अंत में दर्शाए गए लाभ और हानि खाते में लाभ/हानि के शेष में जमा करने के लिए किया जाएगा।

(डी) आईएफआर में शेष राशि एचएफटी और एएफएस निवेश पोर्टफोलियो के 2 प्रतिशत से कम होने की स्थिति में, निम्नलिखित शर्तों के अधीन ड्रा डाउन की अनुमति दी जाएगी:

(i) आहरित राशि का उपयोग केवल न्यूनतम सीईटी 1/टियर 1 पूंजी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए मुक्त रिज़र्व के विनियोग या हानि के संतुलन को कम करने के लिए किया जाता है।

(ii) ड्रा डाउन राशि उक्त वर्ष के दौरान किए गए एमटीएम प्रावधानों की उस सीमा से अधिक नहीं होगी, जो उस वर्ष के दौरान निवेश की बिक्री पर शुद्ध लाभ से अधिक हो।

### (ii) निवेश आरक्षित खाता (आईआरए)

(ए) घटना में, 'एएफएस' या 'एचएफटी' श्रेणियों में मूल्यहास के कारण बनाए गए प्रावधान किसी भी वर्ष में आवश्यक राशि से अधिक पाए जाते हैं, अतिरिक्त लाभ और हानि खाते में जमा किया जाएगा और एक समतुल्य राशि (करों का शुद्ध, यदि कोई हो और इस तरह के अतिरिक्त प्रावधान पर लागू होने वाले सांविधिक रिज़र्व में स्थानांतरण का निवल) अनुसूची 2 में "राजस्व और अन्य निवेश" शीर्ष के तहत "आरक्षित और अधिशेष" को आईआरए खाते में विनियोजित किया जाएगा।

(बी) आईआरए सामान्य प्रावधानों/ हानि रिज़र्व के लिए निर्धारित कुल जोखिम भारित आस्तियों के 1.25 प्रतिशत की समग्र सीमा के भीतर टियर- II के तहत शामिल होने के लिए पात्र होगा।

(सी) आईआरए से निकाली गई राशि शेयरधारकों के बीच लाभांश भुगतान के लिए बैंक को उपलब्ध नहीं होगी।

(डी) आईआरए में शेष राशि को लाभ और हानि विनियोग खाते में 'संरखा के नीचे' सांविधिक रिज़र्व, सामान्य रिज़र्व या लाभ और हानि खाते की शेष राशि को टीयर I पूंजी के रूप में माने जाने के लिए पात्र है।

(ई) बैंकों को निम्नानुसार आईआरए का उपयोग करने की स्वतंत्रता होगी:

(i) एएफएस और एचएफटी श्रेणियों में मूल्यहास के कारण बनाए जाने वाले प्रावधानों को लाभ और हानि खाते में डेबिट किया जाएगा और एक समान राशि (कर लाभ का निवल, यदि कोई हो, और सांविधिक रिज़र्व के हस्तांतरण में परिणामी कमी का निवल) को आईआरए से लाभ और हानि खाते<sup>12</sup> में अंतरित किया जाएगा।

<sup>12</sup> उदाहरण के तौर पर, बैंकों के पास एएफएस और एचएफटी श्रेणियों में निवेश में मूल्यहास के लिए वर्ष के दौरान किए गए प्रावधान की सीमा तक आईआरए से आहरण करने का विकल्प होगा (करों का निवल, यदि कोई हो, और इस तरह के लागू होने वाले अतिरिक्त प्रावधान के सांविधिक रिज़र्व में स्थानांतरण का निवल)। दूसरे शब्दों में, एक बैंक जो 30 प्रतिशत कर का भुगतान करता है और सांविधिक रिज़र्व के निवल लाभ का 25 प्रतिशत एप्रोप्रिएट करता है, यदि एएफएस में शामिल निवेश में मूल्यहास के लिए प्रावधान किया गया है, तो आईआरए से 52.50 रुपये निकाल सकते हैं, और एचएफटी श्रेणियों के लिए यह 100 रुपये हैं।

(ii) प्रावधान के लिए लाभ और हानि खाते में डेबिट की गई राशि को समय-समय पर यथा संशोधित [दिनांक 30 अगस्त 2021 के वित्तीय विवरण पर मास्टर निदेश -प्रस्तुति और प्रकटीकरण](#) के अनुलग्नक II के भाग ए में दिए गए निदेशों के अनुसार लाभ और हानि खाते में वर्गीकृत।

(iii) आईआरए से लाभ और हानि खाते में हस्तांतरित राशि, वर्ष के लिए लाभ का निर्धारण करने के बाद, लाभ और हानि विनियोग खाते में 'संरेखा के नीचे' मद के रूप में दिखाया जाएगा।

(iv) किसी आस्ति के मूल्य में किसी भी तरह के क्षरण के लिए प्रावधान लाभ और हानि खाते पर प्रभार का एक मद है, और इसलिए लेखांकन अवधि के लिए लाभ पर पहुंचने से पहले उस खाते में दर्शाया जाएगा।

(v) निम्नलिखित को अपनाना न केवल गलत लेखांकन सिद्धांत को अपनाना होगा, बल्कि इसके परिणामस्वरूप लेखा अवधि के लिए लाभ का गलत विवरण भी होगा और बैंक निम्नलिखित प्रविष्टियां नहीं करेंगे:

(ए) लाभ और हानि खाते में दिखाए बिना प्रावधान को सीधे रिजर्व के मद के लिए समायोजित करने की अनुमति है,

या

(बी) किसी बैंक को लेखा अवधि (यानी, संरेखा के ऊपर) के लिए लाभ पर पहुंचने से पहले आईआरए से निकालने की अनुमति है, या

(सी) अवधि के लिए लाभ पर पहुंचने के बाद, बैंक को संरेखा मद के नीचे निवेश पर मूल्यह्रास के प्रावधान करने की अनुमति है।

## 19. अनर्जक निवेश (एनपीआई)

(i) बैंक प्रतिभूतियों पर आय की गणना नहीं करेंगे और निवेश की तीन श्रेणियों में से किसी में शामिल प्रतिभूतियों के संबंध में निवेश के मूल्य में मूल्यह्रास के लिए उचित प्रावधान भी करेंगे जहां ब्याज/मूलधन बकाया है। बैंक इन अनर्जक प्रतिभूतियों के संबंध में अन्य अर्जक प्रतिभूतियों के संबंध में मूल्यह्रास की आवश्यकता को मूल्यह्रास से समंजन नहीं करेंगे।

(ii) किसी आस्ति को अनर्जक आस्ति (एनपीए) के रूप में वर्गीकृत करने के लिए उपयोग किए जाने वाले मानदंड का इस्तेमाल किसी निवेश को अनर्जक निवेश (एनपीआई) के रूप में वर्गीकृत करने के लिए किया जाएगा, अर्थात् एनपीआई वह है जहां ब्याज/किस्त (परिपक्वता आय सहित) देय है, और 90 दिनों से अधिक समय तक बकाया रहता है।

(iii) जहां निश्चित लाभांश का भुगतान नहीं किया जाता है, वहां उपरोक्त, वरीयता शेयरों पर आवश्यक परिवर्तनों सहित लागू होगा। यदि वरीयता शेयरों (संचयी या गैर-संचयी) पर लाभांश किसी भी वर्ष घोषित/भुगतान नहीं किया जाता है तो इसे बकाया/अवैतनिक के रूप में माना जाएगा और उस विशेष वर्ष के लिए जारीकर्ता के तुलन पत्र की तारीख को आस्ति वर्गीकरण के प्रयोजन के लिए देय तिथि के रूप में माना जाएगा।

(iv) इक्विटी शेयरों के मामले में, यदि इन निदेशों के पैरा 10(ग)(iv) के अनुसार नवीनतम तुलन पत्र की अनुपलब्धता के कारण किसी कंपनी के शेयरों में निवेश का मूल्य प्रति कंपनी 1 रुपये है, तो उन इक्विटी

शेयरों को एनपीआई के रूप में माना जाएगा।

(v) यदि बैंक के बही में जारीकर्ता द्वारा प्राप्त की गई कोई क्रेडिट सुविधा एनपीए है, तो उसी जारीकर्ता द्वारा जारी किए गए वरीयता शेयरों सहित किसी भी प्रतिभूति में निवेश को भी एनपीआई और इसके विपरीत माना जाएगा।

**बशर्ते कि यह शर्त उन मामलों में लागू नहीं होगी जहां केवल वरीयता शेयरों को एनपीआई के रूप में वर्गीकृत किया गया है, और ऐसे मामलों में, उस जारीकर्ता द्वारा जारी किसी भी अन्य अर्जक प्रतिभूतियों में निवेश को एनपीआई के रूप में वर्गीकृत करने की आवश्यकता नहीं है और किसी उधारकर्ता को दी गई अर्जक राशि को एनपीए नहीं माना जाना चाहिए।**

(vi) मूलधन और/या ब्याज को इक्विटी, डिबेंचर, बॉन्ड आदि में बदलने के मामले में, ऐसे लिखतों को ऋण के रूप में उसी आस्ति वर्गीकरण श्रेणी में एनपीए के रूप में माना जाएगा, यदि पुनर्गठन पैकेज के कार्यान्वयन पर ऋण का वर्गीकरण अवमानक या संदिग्ध है और मानदंडों के अनुसार प्रावधान किया जाएगा।

(vii) सरकार द्वारा गारंटीकृत निवेश

(ए) राज्य सरकार की गारंटी वाली प्रतिभूतियों में निवेश, एनपीआई की पहचान और प्रावधान के लिए विवेकपूर्ण मानदंडों को आकर्षित करेगा, जब मूलधन की ब्याज / किस्त (परिपक्वता राशि सहित) या बैंक को देय कोई अन्य राशि 90 दिनों से अधिक के लिए बकाया रहती है।

(बी) केंद्र सरकार द्वारा गारंटीकृत बांडों में बैंक के निवेश को एनपीआई के रूप में वर्गीकृत नहीं किया जाएगा, जब तक कि केंद्र सरकार द्वारा गारंटी को लागू किए जाने पर अस्वीकार नहीं किया जाता है। हालांकि, एनपीआई के रूप में वर्गीकरण से यह छूट आय की मान्यता के उद्देश्य से नहीं है।

## अध्याय X

### लघु वित्त बैंक और भुगतान बैंक

#### 20. लघु वित्त बैंक

इन निदेशों के प्रावधान लघु वित्त बैंकों पर तब तक लागू होंगे जब तक कि ये प्रावधान दिनांक 06 अक्टूबर, 2016 के निजी क्षेत्र में लघु वित्त बैंकों को लाइसेंस देने के दिशा-निर्देशों और लघु वित्त बैंकों के लिए परिचालन दिशा-निर्देशों, समय - समय पर जारी , के संशोधित दिशा-निर्देशों के विपरीत नहीं हैं।

#### 21. भुगतान बैंक (पीबी)

(i) भुगतान बैंक, किसी भी दिन, 'मांग जमा शेष' के कम से कम 75 प्रतिशत की सीमा तक न्यूनतम निवेश बनाए रखेंगे - डीडीबी (बीसी की बयाना जमा राशि सहित) उससे पहले के तीन कार्य दिवसों पर एक वर्ष तक की परिपक्वता वाली सरकारी प्रतिभूतियों/ट्रेजरी बिलों में, जिन्हें कि भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा सांविधिक तरलता अनुपात (एसएलआर) के रखरखाव के लिए पात्र प्रतिभूतियों के रूप में मान्यता दी गई है।

(ii) इसके अलावा, भुगतान बैंक, किसी भी दिन, अन्य अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के साथ मांग और सावधि जमा में शेष राशि बनाए रखेंगे, जो उस दिन से पहले कार्य दिवस के तीन तारीख को उसके डीडीबी (बीसी की बयाना जमा राशि सहित) के 25 प्रतिशत से अधिक नहीं होगी।

(iii) उपर्युक्त (i) और (ii) के अनुसार किए गए निवेश और जमा, एक साथ पीबी के डीडीबी (बीसी की बयाना जमा राशि सहित) के 100 प्रतिशत से कम नहीं होंगे, जब तक कि यह आरबीआई के साथ रखे गए शेष राशि की सीमा से कम न हो।

**नोट:** अन्य अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के पास डीडीबी के 25 प्रतिशत से अधिक की शेष राशि (बीसी की बयाना जमा राशि सहित) की अनुमति उस सीमा तक है, जहां तक अतिरिक्त राशि डीडीबी के अलावा अन्य निधियों से प्राप्त की जाती है (बीसी की बयाना जमा राशि सहित) .

(iv) पीबी अपने स्वयं के निधि से किए गए निवेश के अलावा किसी भी निवेश को एचटीएम श्रेणी के रूप में वर्गीकृत नहीं करेंगे। उनकी अपनी निधि से किया गया निवेश, किसी भी स्थिति में, आस्ति या निवेश में नहीं होगा, जिसके संबंध में प्रवर्तक/प्रवर्तक समूह की इकाई प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से बाध्य है।

(v) पीबी बैंक 'व्हेन इश्यूड' और 'शॉर्ट सेल' लेनदेन में भाग नहीं लेंगे।

(vi) पीबी के पास बैंक जमा पर लागू सीमा के अधीन बैंक सीडी में निवेश करने का विकल्प होगा।

(vii) इन निदेशों के अन्य प्रावधान भुगतान बैंकों पर तब तक लागू होंगे, जब तक कि ये प्रावधान भुगतान बैंकों को लाइसेंस देने के दिशा-निर्देशों और भुगतान बैंकों के लिए दिनांक 06 अक्टूबर, 2016, समय-समय पर संशोधित, के परिचालन दिशानिर्देशों के विपरीत नहीं हैं।

## अध्याय XI

### हटाए गए प्रावधान

22.1 इन निदेशों के जारी होने के साथ ही रिज़र्व बैंक द्वारा जारी अनुबंध IV में उल्लिखित परिपत्रों में निहित अनुदेश/दिशानिर्देश निरस्त हो जाते हैं।

22.2 उपरोक्त परिपत्रों के तहत दिए गए सभी अनुमोदन/स्वीकृति को इन निर्देशों के तहत दिया गया माना जाएगा।

22.3 निरसित सभी परिपत्र इन निदेशों के प्रभाव में आने से पूर्व प्रभावी माने जाते हैं।

विवरणी/ वक्तव्य

31 मार्च को निवेश खाते के समाधान की स्थिति दर्शाने वाला प्रोफार्मा विवरण

बैंक/ संस्था का नाम:

अंकित मूल्य करोड़ रु. में

प्रतिभूतियों का विवरण	सामान्य खाता बही	एसजीएल शेष	
		पीडीओ बही के अनुसार	बैंक/ संस्था के अनुसार बही
1	2	3	4
केंद्र सरकार			
राज्य सरकार			
अन्य स्वीकृत प्रतिभूतियां			
सार्वजनिक क्षेत्र के बांड Bonds			
यूटीआई.की इकाइयां (1964)			
अन्य (शेयर और डिबेंचर आदि)			
कुल			

नाम और पदनाम के साथ प्राधिकृत अधिकारी का हस्ताक्षर

नोट :

1. इसी तरह के विवरण पीएमएस ग्राहक के खातों और अन्य घटकों के खातों (ब्रोकर सहित) के संबंध में प्रस्तुत किए जाने चाहिए। पीएमएस/अन्य घटकों के खातों के मामले में, बैंक के संबंधित रजिस्ट्रों में दिखाई देने वाली प्रतिभूतियों का अंकित मूल्य और बही मूल्य कॉलम 2 के तहत उल्लिखित किया जाएगा।
2. भौतिक रूप में धारित प्रतिभूतियों का विवरण (एसजीएल फॉर्म, स्क्रिप्स, आवंटन पत्र, सदस्यता रसीद आदि), यदि कोई हो, फुटनोट में दर्शाया जा सकता है।

**समाधान विवरण संकलित करने के लिए सामान्य अनुदेश**

**क) कॉलम - 2 (जीएल शेष)**

प्रारूप में प्रतिभूतियों का पूर्ण विवरण देना आवश्यक नहीं है। प्रत्येक श्रेणी के सामने अंकित मूल्य की कुल राशि का ही उल्लेख किया जाए। प्रतिभूतियों का संबंधित बही मूल्य प्रत्येक श्रेणी के अंतर्गत प्रतिभूतियों के अंकित मूल्य की राशि के तहत कोष्ठक में दर्शाया जा सकता है।

**ख) कॉलम - 3 और 4 (एसजीएल शेष)**

सामान्य क्रम में कॉलम तीन और चार के सामने दर्शाए गए शेष एक दूसरे से मेल में होंगे। किसी लेन-देन के पीडीओ या बैंक की बही में दर्ज नहीं होने के कारण किसी भी अंतर के मामले में प्रत्येक लेनदेन का पूरा विवरण देते हुए इसे समझाया जाएगा।

अनुबंध II  
हृदाया गया



## पंजीकृत ब्याज और मूलधन प्रतिभूतियों का पृथक व्यापार (स्ट्रिप्स)

### लेखांकन और मूल्यांकन

1. इन निदेशों में निर्धारित तरीके से स्ट्रिप्स का मूल्यांकन और हिसाब शून्य कूपन बांड के रूप में किया जाएगा।
2. शुरुआत में स्ट्रिप्स के मूल्यांकन के लिए उपयोग की जाने वाली छूट दरें बाजार आधारित होंगी। हालांकि, यदि व्यापारित शून्य-कूपन दरें उपलब्ध नहीं हैं, तो इसके बजाय एफबीआईएल द्वारा प्रकाशित शून्य कूपन प्रतिफल का उपयोग किया जाएगा।
3. स्ट्रिपिंग/पुनर्गठन के परिणामस्वरूप एसजीएल खातों में लेखांकन प्रविष्टियां अंकित मूल्य पर पारित की जाएंगी। स्ट्रिपिंग के लिए अनुरोध करने वाले प्रतिभागी के एसजीएल खाते को सरकारी सुरक्षा के अंकित मूल्य से नामे किया जाएगा, और साथ ही साथ कूपन स्ट्रिप्स के कुल अंकित मूल्य (कुल कूपन राशि के बराबर) के साथ-साथ मुख्य स्ट्रिप्स (सरकारी सुरक्षा के अंकित मूल्य के बराबर) के अंकित मूल्य के साथ जमा किया जाएगा<sup>13</sup>।
4. स्ट्रिपिंग के दिन, स्ट्रिप्स को प्रतिभागी के खाते की पुस्तकों में उनके रियायती मूल्य पर मान्यता दी जाएगी और साथ ही, संबंधित सरकारी सुरक्षा को अमान्य कर दिया जाएगा। पुनर्गठन के लिए लेखांकन उपचार स्ट्रिपिंग के बिल्कुल विपरीत होगा। स्ट्रिप्स के लेखांकन की विस्तृत प्रक्रिया नीचे दी गई है।
  - 4.1 स्ट्रिपिंग/पुनर्गठन के परिणामस्वरूप कोई लाभ या हानि नहीं होनी चाहिए। शून्य-कूपन उपज वक्र (जेडसीवाईसी) का उपयोग करके बढ़ागत किए गए स्ट्रिप्स (कूपन के साथ-साथ मूलधन) का वर्तमान मूल्य एक कारक का उपयोग करके सामान्यीकृत किया जाएगा जो प्रतिभूति के बही मूल्य या बाजार मूल्य (जो भी कम हो) से सुरक्षा से निर्मित सभी स्ट्रिप्स के बाजार मूल्य के योग का अनुपात होगा<sup>14</sup>।

<sup>13</sup> सरकारी प्रतिभूतियों के स्ट्रिपिंग/पुनर्गठन पर दिशानिर्देशों पर [दिनांक 25 मार्च 2010 के परिपत्र संख्या आईडीएमडी.डीओडी.07/11.01.09/2009-10](#) के अनुबंध 3 में दिए गए उदाहरण का संदर्भ लें।

<sup>14</sup> [दिनांक 25 मार्च 2010 के "सरकारी प्रतिभूतियों के स्ट्रिपिंग/पुनर्गठन पर दिशानिर्देशों" पर परिपत्र संख्या आईडीएमडी.डीओडी.07/11.01.09/2009-10](#) के अनुबंध 4 में दिए गए उदाहरण के लिए संदर्भ आमंत्रित किया जाता है।

4.2 बैंक अपने निवेश पोर्टफोलियो की एएफएस/एचएफटी श्रेणी के अंतर्गत धारित पात्र सरकारी प्रतिभूतियों को स्ट्रिप कर सकते हैं।

4.3 यदि एचटीएम पोर्टफोलियो में धारित प्रतिभूतियों से स्ट्रिप्स बनाए जाते हैं, तो इन निदेशों के अनुसार प्रतिभूतियों को एचटीएम श्रेणी से एएफएस/एचएफटी श्रेणी में स्थानांतरित किया जाएगा। इसके बाद, बही मूल्य/बाजार मूल्य में से कम का उपयोग अलग-अलग स्ट्रिप्स के बाजार मूल्य को बही मूल्य/बाजार मूल्य के सामान्यीकरण के लिए किया जाएगा। स्ट्रिपिंग के बाद, मौजूदा प्रतिभूतियों के बही मूल्य/बाजार मूल्य को अमान्य कर दिया जाएगा और स्ट्रिप्स के सामान्यीकृत मूल्य से प्रतिस्थापित किया जाएगा, जिसका कुल योग समाप्त सुरक्षा के बही मूल्य/बाजार मूल्य के बिल्कुल बराबर होगा (जिससे यह सुनिश्चित होता है कि स्ट्रिपिंग के कारण कोई लाभ या नुकसान नहीं है)। एचटीएम से सुरक्षा के स्थानांतरण के कारण उत्पन्न होने वाली किसी भी अभिमूल्यन को नजरअंदाज कर दिया जाएगा। एएफएस/एचएफटी पोर्टफोलियो से स्ट्रिप की गई प्रतिभूतियों के लिए भी यही पद्धति अपनाई जाएगी।

4.4 (i) सुरक्षा स्ट्रिपिंग से पहले, इसे बाजार में चिह्नित किया जाएगा। अभिमूल्यन, यदि कोई हो, को नजरअंदाज कर दिया जाएगा और मूल्यह्रास, यदि कोई हो, को मान्यता दी जाएगी, यदि बाजार मूल्य बही मूल्य से कम है। इस तरह के मूल्यह्रास को एएफएस/एचएफटी श्रेणी के तहत निवेश के शुद्ध मूल्यह्रास/अभिमूल्यन की गणना करने के उद्देश्य से एकत्र नहीं किया जाएगा। प्रतिभूति का बही मूल्य/बाजार मूल्य, जो भी कम हो, का उपयोग स्ट्रिप्स को सामान्य करने के लिए किया जाएगा।

(ii) स्ट्रिपिंग/पुनर्गठन पर सामान्यीकरण सिद्धांत, प्रतिभूति के स्वच्छ मूल्य (उपार्जित ब्याज पर विचार किए बिना) पर लागू किया जाएगा क्योंकि उपार्जित ब्याज आय/व्यय के रूप में दर्ज किया जाता है।

(iii) पुनर्गठन के मामले में भी सामान्यीकरण लागू किया जाएगा (जब बाजार से स्ट्रिप्स का अधिग्रहण किया जाता है तब भी)।

(iv) इन निदेशों के अनुसार स्ट्रिप्स (जेडसीबी) के बही मूल्य का मूल्यांकन और बाजार मूल्य को बही में अंकित किया जाएगा। तदनुसार, स्ट्रिप्स के बही मूल्य को एमटीएम से पहले अर्जित ब्याज की सीमा तक चिह्नित किया जाएगा।

मास्टर निदेश द्वारा निरसित परिपत्रों की सूची

सं.	परिपत्र सं.	दिनांक	विषय
1	डीबीओडी.सं.एफएससी.46/सी.469-91/92	26 जुलाई 1991	बैंकों का निवेश पोर्टफोलियो - प्रतिभूतियों में लेनदेन
2	डीबीओडी.सं.एफएससी. बीसी.143ए/24.48.001/91-92	20 जुलाई 1992	बैंकों का निवेश पोर्टफोलियो - प्रतिभूतियों में लेनदेन
3	डीबीओडी.सं.बीसी.17/24.48.001/92-93	19 अगस्त 1992	बैंकों का निवेश पोर्टफोलियो - प्रतिभूतियों में लेनदेन
4	डीबीओडी.सं.बीसी..62/27.02.001/92-93	31 दिसंबर 1992	बैंकों का निवेश पोर्टफोलियो - प्रतिभूतियों में लेनदेन
5	डीबीओडी.सं.1095/27.01.002/93	15 अप्रैल 1993	बैंकों का निवेश पोर्टफोलियो - होल्डिंग्स का समाधान
6	डीबीओडी.सं.बीसी..141/27.02.006/93-94	19 जुलाई 1993	बैंकों का निवेश पोर्टफोलियो - प्रतिभूतियों में लेनदेन - व्यक्तिगत दलालों के लिए कुल अनुबंध सीमा - स्पष्टीकरण
7	डीबीओडी.सं.बीसी..1/27.02.001/93-94	10 जनवरी 1994	बैंकों का निवेश पोर्टफोलियो - प्रतिभूतियों में लेनदेन - एसजीएल स्थानांतरण प्रपत्रों की बाउंसिंग - जुर्माना लगाया जाना।
8	डीबीओडी.सं.बीसी..130/24.76.002/94-95	15 नवंबर 1994	बैंकों का निवेश पोर्टफोलियो - प्रतिभूतियों में लेनदेन - बैंक रसीदें (बीआर)
9	डीबीओडी.सं.बीसी..129/24.76.002/94-95	16 नवम्बर 1994	बैंकों का निवेश पोर्टफोलियो - प्रतिभूतियों में लेनदेन - दलालों की भूमिका
10	डीबीओडी.सं.बीसी..142/24.76.002/94-95	9 दिसंबर 1994	-डू-
11	डीबीओडी.सं.बीपी.बीसी.37/21.04.048/95	3 अप्रैल 1995	बैंकों का निवेश पोर्टफोलियो - प्रतिभूतियों में लेनदेन
12	डीबीओडी.सं.एफएससी. बीसी.70/24.76.002/95-96	8 जून 1996	सरकारी प्रतिभूतियों की खुदरा बिक्री
13	डीबीओडी.सं.एफएससी. बीसी.71/24.76.002/96	11 जून 1996	बैंकों का निवेश पोर्टफोलियो - प्रतिभूतियों में लेनदेन
14	बीसी.सं.15/08:91:001/96	1 अगस्त 1996	बैंकों का निवेश पोर्टफोलियो - अप्रयुक्त बी.आर. की हिरासत और नियंत्रण के लिए प्रणाली फार्म
15	डीबीओडी.सं.डीआईआर. बीसी.153/24.76.001/96	29 नवम्बर 1996	बैंकों का निवेश पोर्टफोलियो - प्रतिभूतियों में लेनदेन

सं.	परिपत्र सं.	दिनांक	विषय
16	डीबीओडी.बीपी.बीसी.32/21.04.04 8/97	12 अप्रैल 1997	विवेकपूर्ण मानदंड - पूंजी पर्याप्तता, आय की पहचान, परिसंपत्ति वर्गीकरण और प्रावधान
17	डीबीओडी.सं.एफएससी. बीसी.112/24.76.002/97	14 अक्टूबर 1997	बैंकों का निवेश पोर्टफोलियो - प्रतिभूतियों में लेनदेन - दलालों की भूमिका
18	डीबीओडी.सं.एफएससी. बीसी.129/24.76.002/97	22 अक्टूबर 1997	सरकारी प्रतिभूतियों की खुदरा बिक्री
19	डीबीओडी.सं.एफएससी. बीसी.75/21.04.048/98	4 अगस्त 1998	सरकार और अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियों का अधिग्रहण - खंडित अवधि ब्याज- लेखा प्रक्रिया
20	डीबीएस.सीओ.एफएमसी.बीसी.1/22 .53.014/98-99	7 जुलाई 1999	बैंकों का निवेश पोर्टफोलियो - प्रतिभूतियों में लेनदेन
21	डीबीओडी.सं.एफएससी. बीसी.26/24.76.002/2000	6 अक्टूबर 2000	प्राथमिक निर्गमों के लिए नीलामियों में आवंटित सरकारी प्रतिभूतियों की बिक्री
22	डीबीओडी.सं.बीपी.बीसी.32/21.04. 048/2000-01	16 अक्टूबर 2000	निवेश के वर्गीकरण और मूल्यांकन पर दिशानिर्देश।
23	डीबीओडी.एफएससी.बीसी.सं.39/24 .76.002/2000	25 अक्टूबर 2000	बैंकों का निवेश पोर्टफोलियो - प्रतिभूतियों में लेनदेन - दलालों की भूमिका
24	डीबीओडी.सं.बीसी..127/21.04.04 8/2000- 01	7 जून 2001	बैंकों का गैर-एसएलआर निवेश
25	डीबीओडी.सं.बीसी..57/21.04.048/ 2001-02	10 जनवरी 2002	बैंकों द्वारा निवेश का मूल्यांकन
26	डीबीओडी.सं.एफएससी. बीसी.113/24.76.002/2001-02	7 जून 2002	बैंकों का निवेश पोर्टफोलियो - सरकारी प्रतिभूतियों में लेनदेन
27	डीबीओडी.सं.एफएससी. बीसी.90/24.76.002/2002-03	31 मार्च 2003	तैयार वायदा अनुबंध
28	डीबीओडी.बीपी.बीसी.44/21.04.14 1/2003-04	12 नवम्बर 2003	गैर-एसएलआर प्रतिभूतियों में बैंकों के निवेश पर विवेकपूर्ण दिशानिर्देश
29	डीबीओडी.बीपी.बीसी.53/21.04.14 1/2003-04	10 दिसम्बर 2003	गैर-एसएलआर प्रतिभूतियों में बैंकों के निवेश पर विवेकपूर्ण दिशानिर्देश
30	डीबीओडी.एफएससी.बीसी.59/24.7 6.002/2003-04	26 दिसंबर 2003	प्राथमिक निर्गमों के लिए नीलामी में आवंटित सरकारी प्रतिभूतियों की उसी दिन बिक्री
31	डीबीओडी.एफएससी.बीसी.28/24.7 6.002/2004-05	12 अगस्त 2004	सरकारी प्रतिभूतियों में लेनदेन
32	डीबीओडी.बीपी.बीसी.29/21.04.14 1/2004-05	13 अगस्त 2004	विवेकपूर्ण मानदंड-राज्य सरकार गारंटीकृत एक्सपोजर

सं.	परिपत्र सं.	दिनांक	विषय
33	डीबीओडी.डीआईआर.बीसी.32/13.0 7.05/2004-05	17 अगस्त 2004	इक्विटी में बैंकों के निवेश का अभौतिकीकरण
34	डीबीओडी.बीपी.बीसी.37/21.04.14 1/2004-05	2 सितंबर 2004	बैंकों के निवेश पोर्टफोलियो के वर्गीकरण पर विवेकपूर्ण मानदंड
35	मेलबॉक्स स्पष्टीकरण	2 अगस्त 2005	निवेश उतार-चढ़ाव रिजर्व (आईएफआर)
36	डीबीओडी.एफएसडी.बीसी.सं. .31/24.76.002/2005-06	1 सितंबर 2005	एनडीएस-ओएम - प्रतिपक्ष पुष्टि
37	डीबीओडी.बीपी.बीसी.38/21.04.14 1/2005-06	10 अक्टूबर 2005	पूजी पर्याप्तता - निवेश में उतार-चढ़ाव रिजर्व
38	मेलबॉक्स स्पष्टीकरण	10 नवम्बर 2005	जीरो कूपन बांड का मूल्यांकन
39	मेलबॉक्स स्पष्टीकरण	2 जून 2006	म्यूचुअल फंड योजनाओं में असूचीबद्ध प्रतिभूतियों के प्रतिशत की गणना
40	डीबीओडी.सं.बीपी.बीसी.27/21.01. 002/2006-07	23 अगस्त 2006	विवेकपूर्ण दिशानिर्देश - वीसीएफ में बैंक का निवेश
41	डीबीओडी.बीपी.बीसी.87/21.04.14 1/2006-07	20 अप्रैल 2007	बैंकों द्वारा निवेश पोर्टफोलियो के वर्गीकरण, मूल्यांकन और संचालन के लिए विवेकपूर्ण मानदंड
42	मेलबॉक्स स्पष्टीकरण	11 जुलाई 2007	विवेकपूर्ण मानदंड - प्रीमियम के परिशोधन का लेखांकन
43	डीबीओडी.सं.बीपी.बीसी.56/21.04. 141/2007-08	6 दिसंबर 2007	अनारक्षित गैर-एसएलआर प्रतिभूतियों में निवेश की सीमाएं - अवसंरचना बांड
44	डीबीओडी.सं.बीपी.बीसी.86/21.04. 141/2007-08	22 मई 2008	भारत सरकार द्वारा जारी गैर-एसएलआर प्रतिभूतियों का मूल्यांकन
45	मेलबॉक्स स्पष्टीकरण	21 जुलाई 2008	बैंकों के निवेश पोर्टफोलियो के संचालन पर विवेकपूर्ण मानदंड
46	मेलबॉक्स स्पष्टीकरण	19 सितंबर 2008	विदेशी निवेश का वर्गीकरण
47	मेलबॉक्स स्पष्टीकरण	10 अक्टूबर 2008	एक श्रेणी से दूसरी श्रेणी में प्रतिभूतियों का स्थानांतरण
48	मेलबॉक्स स्पष्टीकरण	5 फरवरी 2009	असूचीबद्ध गैर-एसएलआर प्रतिभूतियां
49	मेलबॉक्स स्पष्टीकरण	16 मार्च 2009	गैर-सूचीबद्ध गैर-एसएलआर प्रतिभूतियों में निवेश
50	मेलबॉक्स स्पष्टीकरण	3 सितंबर 2009	ओटीसी बाजार में सरकारी प्रतिभूतियों के लेनदेन में व्यापार पुष्टि की छूट

सं.	परिपत्र सं.	दिनांक	विषय
51	मेलबॉक्स स्पष्टीकरण	23 दिसंबर 2009	राष्ट्रीय आवास बैंक के ग्रामीण आवास विकास कोष (आरएचडीएफ) में निवेश के लिए उपचार
52	मेलबॉक्स स्पष्टीकरण	30 मार्च 2010	अग्रिमों की प्रकृति में डिबेंचर में निवेश पर स्पष्टीकरण
53	<a href="#">डीबीओडी.सं.बीपी.बीसी.98/21.04.141/2009-10</a>	23 अप्रैल 2010	गैर-सूचीबद्ध गैर-एसएलआर प्रतिभूतियों में निवेश
54	<a href="#">डीबीओडी.सं.बीपी.बीसी.97/21.04.141/2009-10</a>	23 अप्रैल 2010	इंफ्रास्ट्रक्चर गतिविधियों में लगी कंपनियों द्वारा जारी बांडों में बैंकों द्वारा निवेश का वर्गीकरण
55	मेलबॉक्स स्पष्टीकरण	20 जुलाई 2010	बुनियादी ढांचा गतिविधियों में लगी कंपनियों द्वारा जारी बांडों में बैंकों द्वारा निवेश के वर्गीकरण पर स्पष्टीकरण
56	मेलबॉक्स स्पष्टीकरण	3 अगस्त 2010	केंद्र सरकार द्वारा गारंटीकृत बांडों में बैंक का निवेश – आस्ति वर्गीकरण
57	डीबीओडी.सं.बीपी.बीसी.34/21.04.141/2010-11	6 अगस्त 2010	परिपक्वता तक धारित (एचटीएम) श्रेणी के अंतर्गत धारित निवेशों की बिक्री
58	<a href="#">डीबीओडी.सं.बीपी.बीसी.44/21.04.141/2010-11</a>	29 सितंबर 2010	शून्य कूपन बांड में निवेश पर विवेकपूर्ण मानदंड
59	<a href="#">डीबीओडी.सं.बीपी.बीसी.56/21.04.141/2010-11</a>	1 नवम्बर 2010	परिपक्वता तक धारित (एचटीएम) श्रेणी के अंतर्गत धारित निवेशों की बिक्री
60	<a href="#">डीबीओडी.सं.बीपी.बीसी.58/21.04.141/2010-11</a>	4 नवम्बर 2010	निवेश के लिए लेखांकन प्रक्रिया - निपटान तिथि लेखांकन
61	<a href="#">डीबीओडी.बीपी.बीसी.सं.72/21.04.141/2010-11</a>	31 दिसंबर 2010	गैर-एसएलआर प्रतिभूतियों में निवेश - एक वर्ष तक की परिपक्वता की गैर-परिवर्तनीय डिबेंचर (एनसीडी)
62	<a href="#">डीबीओडी.सं.बीपी.बीसी.79/21.04.141/2010-11</a>	31 जनवरी 2011	बैंकों की अनुपंगियों/संयुक्त उद्यमों में निवेश के मूल्य में स्थायी कमी की मान्यता
63	<a href="#">डीबीओडी.सं.बीपी.बीसी.23/21.04.141/2011-12</a>	5 जुलाई 2011	म्यूचुअल फंड की लिक्विड/अल्पकालिक ऋण योजनाओं में बैंकों द्वारा निवेश
64	मेलबॉक्स स्पष्टीकरण	30 जनवरी 2013	कम कूपन बांड में निवेश पर विवेकपूर्ण मानदंड
65	<a href="#">डीबीओडी.सं.बीपी.बीसी.92/21.04.141/2012-13</a>	15 मई 2013	मौद्रिक नीति वक्तव्य 2013-14 परिपक्वता श्रेणी के तहत धारित एसएलआर होल्डिंग्स
66	डीबीओडी.बीपी.बीसी.सं.105/21.04.132/2012-13	27 जून 2013	राज्य वितरण कंपनियों (डिस्कॉम) द्वारा जारी बांड - मूल्यांकन पर दिशानिर्देश
67	मेलबॉक्स स्पष्टीकरण	27 जून 2013	कम कूपन बांड में निवेश पर विवेकपूर्ण मानदंड
68	<a href="#">डीबीओडी.बीपी.बीसी.सं.41/21.04.141/2013-14</a>	23 अगस्त 2013	बैंकों का निवेश पोर्टफोलियो - वर्गीकरण, मूल्यांकन और प्रावधान

सं.	परिपत्र सं.	दिनांक	विषय
69	मेलबॉक्स स्पष्टीकरण	21 मार्च 2014	परिपक्वता तक धारित (एचटीएम) श्रेणी के अंतर्गत धारित निवेशों की बिक्री
70	मेलबॉक्स स्पष्टीकरण	27 जून 2014	गैर-एसएलआर निवेशों के लिए प्रकटीकरण आवश्यकताएं
71	डीबीओडी.सं.बीपी.बीसी.30/21.04.141/2014-15	5 अगस्त 2014	मौद्रिक नीति वक्तव्य 2014-15 - परिपक्वता श्रेणी के तहत धारित एसएलआर होल्डिंग्स
72	<a href="#">डीबीओडी.सं.बीपी.बीसी.42/21.04.141/2014-15</a>	7 अक्टूबर 2014	चौथा द्विमासिक मौद्रिक नीति वक्तव्य, 2014-15 - परिपक्वता श्रेणी के तहत धारित एसएलआर होल्डिंग्स
73	मेलबॉक्स स्पष्टीकरण	15 दिसंबर 2014	परिपक्वता श्रेणी के तहत धारित एसएलआर होल्डिंग्स
74	डीबीआर.सं.बीपी.बीसी.75/21.04.048/2014-15	11 मार्च 2015	प्रतिभूतिकरण कंपनी (एससी) / पुनर्निर्माण कंपनी (आरसी) और संबंधित मुद्दों को वित्तीय आस्तियों की बिक्री पर दिशानिर्देश
75	मेलबॉक्स स्पष्टीकरण	20 अक्टूबर 2015	गैर-उद्धृत इक्विटी शेयरों का मूल्यांकन
76	डीबीआर.सं.बीपी.बीसी.65/21.04.141/2015-16	10 दिसंबर 2015	चौथा द्विमासिक मौद्रिक नीति वक्तव्य, 2015-16 - परिपक्वता श्रेणी के तहत धारित एसएलआर होल्डिंग्स
77	<a href="#">डीबीआर.सं.बीपी.बीसी.102/21.04.141/2017-18</a>	02 अप्रैल 2018	बैंकों द्वारा निवेश पोर्टफोलियो के वर्गीकरण, मूल्यांकन और संचालन के लिए विवेकपूर्ण मानदंड - एमटीएम हानियों का प्रसार और निवेश उतार-चढ़ाव रिजर्व (आईएफआर) का निर्माण
78	<a href="#">डीबीआर.सं.बीपी.बीसी.113/21.04.048/2017-18</a>	15 जून 2018	बैंकों द्वारा निवेश पोर्टफोलियो के वर्गीकरण, मूल्यांकन और संचालन के लिए विवेकपूर्ण मानदंड - एमटीएम हानियों का प्रसार और निवेश उतार-चढ़ाव रिजर्व (आईएफआर) का निर्माण
79	<a href="#">डीबीआर.सं.बीपी.बीसी.46/21.04.141/2018-19</a>	10 जून 2019	बैंकों द्वारा निवेश पोर्टफोलियो के वर्गीकरण, मूल्यांकन और संचालन के लिए विवेकपूर्ण मानदंड - परिपक्वता तक धारित (एचटीएम) श्रेणी के अंतर्गत धारित निवेशों की बिक्री
80	<a href="#">डीओआर.सं.बीपी.बीसी.42/21.04.141/2019-20</a>	17 मार्च 2020	बैंकों द्वारा निवेश पोर्टफोलियो के वर्गीकरण, मूल्यांकन और संचालन के लिए विवेकपूर्ण मानदंड - एमटीएम हानियों का प्रसार और निवेश उतार-चढ़ाव रिजर्व (आईएफआर) का निर्माण
81	<a href="#">डीओआर.सं.बीपी.बीसी.9/21.04.141/2020-21</a>	1 सितंबर 2020	एचटीएम श्रेणी में एसएलआर होल्डिंग्स (संशोधित)
82	<a href="#">डीओआर.सं.बीपी.बीसी.22/21.04.141/2020-21</a>	12 अक्टूबर 2020	एचटीएम श्रेणी में एसएलआर होल्डिंग्स
83	<a href="#">डीओआर.सं. एमआरजी. बीसी.39/21.04.141/2020-21</a>	5 फरवरी 2021	एचटीएम श्रेणी में एसएलआर होल्डिंग्स

सं.	परिपत्र सं.	दिनांक	विषय
84	<a href="#">डीओआर.एमआरजी.आरईसी.96/21.04.141/2021-22</a>	23 मार्च 2022	मास्टर निदेश - वाणिज्यिक बैंकों के निवेश पोर्टफोलियो का वर्गीकरण, मूल्यांकन और संचालन (निर्देश), 2021 – संशोधन
85	<a href="#">डीओआर.एमआरजी.आरईसी.98/21.04.141/2021-22</a>	31 मार्च 2022	मास्टर निदेश - वाणिज्यिक बैंकों के निवेश पोर्टफोलियो का वर्गीकरण, मूल्यांकन और संचालन (निर्देश), 2021 – संशोधन
86	<a href="#">डीओआर.एमआरजी.आरईसी.14/21.04.141/2022-23</a>	8 अप्रैल 2022	एचटीएम श्रेणी में एसएलआर होल्डिंग्स की समीक्षा
87	<a href="#">डीओआर.एमआरजी.आरईसी.89/21.04.141/2022-23</a>	8 दिसंबर 2022	एचटीएम श्रेणी में एसएलआर होल्डिंग्स की समीक्षा